



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

प्राप्ति बजट 2022-2023

फरवरी, 2022

वित्त मंत्रालय
बजट प्रभाग

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. परिचायक टिप्पणी	(iii)
भाग क - प्राप्तियां	
2. प्राप्तियों का सार	1
3. कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	
I. कर राजस्व	2-6
II. कर-भिन्न राजस्व	7-13
III. पूंजी प्राप्तियां	14-21
अनुबन्ध:	
1. प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	22
2. अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	23
3. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के बीच अनुमानों का मिलान	24
4. ब.अ. 2022-2023 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	25
4क. सं.अ. 2021-2022 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	26
4ख. वास्तविक 2020-2021 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	27
5. जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	28
6. कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	29
7. केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव का विवरण: वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21	30-46
8. 31 मार्च, 2022 के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग	47

भाग ख - आस्ति और देयता विवरण

1.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	51
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	52
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	53
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	54-56
	(iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर	57
2.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	58-60
2क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	60
2ख.	मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड	60
2ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	60
2घ.	पोलिफ का प्रतिभूतिकरण	60
2ङ	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	61
2च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	61
2छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	61
2ज-ठ	विभिन्न संस्थाओं को जारी विशेष बांड	61
2ढ-थ	सरकारी क्षेत्र के बैंकों/एग्जिम बैंक/आईडीबीआई बैंक लि. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	65
3.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	67-68
4.	वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी	69-71
5.	विदेशी सहायता	72-74
6.	2022-2023 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण	75

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में संगठित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के सार के साथ-साथ उनके ब्यौरे और संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों को दिया गया है। इसमें कर, गैर कर राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (2022-23), संशोधित अनुमान (2021-2022) और वास्तविक (2020-2021) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण राज्यों को अपने वित्तीय साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी बहुत सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। एफआरबीएम नियम, 2004 के अंतर्गत यथा अधिदेशित वार्षिकी परियोजनाओं, गैर कर राजस्व के बकायों, उत्पन्न परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण को भी शामिल किया गया है। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। इन विवरणों में सरकार की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022	संशोधित अनुमान 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023
राजस्व प्राप्तियां				
1. कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	2027101.95	2217059.27	2516059.27	2757820.13
निगम कर	457718.97	547000.00	635000.00	720000.00
आय कर	487143.71	561000.00	615000.00	700000.00
धन कर	11.85
सीमा शुल्क	134750.39	136000.00	189000.00	213000.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	391748.54	335000.00	394000.00	335000.00
सेवा कर	1614.84	1000.00	1000.00	2000.00
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	548777.31	630000.00	675000.00	780000.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	5336.34	7059.27	7059.27	7820.13
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	5820.00	6100.00	6130.00	6400.00
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	594996.76	665562.74	744784.62	816649.47
केन्द्र का निवल कर राजस्व	1426287.08	1545396.53	1765144.65	1934770.66
2. कर-भिन्न राजस्व				
प्याज प्राप्तियां	17113.41	11541.17	20894.00	18000.00
लाभांश तथा लाभ	96877.75	103538.42	147353.00	113948.00
अन्य कर-भिन्न राजस्व	92042.99	125417.67	143013.67	134896.26
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1598.31	2530.64	2530.64	2806.81
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	207632.46	243027.90	313791.31	269651.07
I. जोड़ राजस्व प्राप्तियां	1633919.54	1788424.43	2078935.96	2204421.73
पूंजी प्राप्तियां				
3. पूंजी प्राप्तियां				
क. ऋण भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	19728.68	13000.00	21975.00	14291.00
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	37896.96	175000.00	78000.00	65000.00
कुल	57625.64	188000.00	99975.00	79291.00
ख. ऋण प्राप्तियां				
1. बाजार ऋण (निवल)	1032907.42	924707.72	775771.28	1118612.44
2. अदायगी के लिए बाजार ऋण	227208.31	280792.28	270728.72	376387.56
3. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण				
4. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	157042.44	180000.00	120000.00	100000.00
5. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-153417.57	-180000.00	-120000.00	-100000.00
6. बाजार ऋण (सकल) (1+2+3)*	1260115.73	1205500.00	1046500.00	1495000.00
7. अल्पावधिक/रा. हुंडी उधार	203205.25	50000.00	100000.00	50000.00
8. विदेशी ऋण (निवल)	70180.08	1514.23	19746.42	19251.15
9. अन्य बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	483732.53	391927.01	591524.00	425449.00
10. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	18513.60	20000.00	20000.00	20000.00
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)^	13315.48	54279.39	-90140.08	37025.30
12. जोड़ ऋण प्राप्तियां (1-3+4+5+7+8+9+10+11)	1825479.23	1435428.35	1416901.62	1660444.21
II. जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख12)	1883104.87	1623428.35	1516876.62	1739735.21
4. नकदी शेष में आहरण से कमी	-7188.04	71382.86	174187.15	751.74
जोड़ प्राप्तियां (I+II)	3517024.41	3411852.78	3595812.58	3944156.94

@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि, अग्रिम राशि से प्राप्तियां शामिल हैं

* इसमें वास्तविक 2020-21 के 1,10,208 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2021-22 के 1,59,000 करोड़ रुपये की उधारी शामिल नहीं है जोकि राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति के बदले राज्यों को बैंक टु बैंक ऋण के रूप में दी गयी थी

कर राजस्व

कर राजस्व			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023	
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	412013.46	473365.39	549519.23	623076.92	
1.02.	अधिभार	14078.58	52596.15	61057.69	69230.77	
1.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	17795.16	21038.46	24423.08	27692.31	
1.04.	शास्तियां	79.47	
1.05.	व्याज वसूलियां	1754.61	
1.06.	घरेलू कम्पनियों के भुनाए गए लाभों पर कर	3800.98	
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	8007.03	
1.08.	विविध प्राप्तियां	189.68	
जोड़-निगम कर		457718.97	547000.00	635000.00	720000.00	
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	442607.02	474663.47	514903.85	588461.54	
2.02.	अधिभार	5537.78	52740.38	57211.53	65384.61	
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	18026.39	21096.15	22884.62	26153.85	
2.04.	शास्तियां	146.56	
2.05.	व्याज वसूलियां	3717.67	
2.06.	काले धन के तहत कर	6.64	
2.07.	विविध प्राप्तियां	349.18	
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	16926.99	12500.00	20000.00	20000.00	
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0.30	
2.11.	व्याज कर	2.36	
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	-181.86	
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	4.55	
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0.12	
2.13.03.	अन्य प्राप्तियां	
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर		4.67	
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0.01	
जोड़-आय पर कर		487143.71	561000.00	615000.00	700000.00	
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	1.38	
3.02.	धन पर कर	10.47	
जोड़-संपदा कर		11.85	
4. पण्य लेन-देन कर						
4.	पण्य लेन-देन कर	0036	1.89	
5. सीमा शुल्क						
5.01.	आयात शुल्क					
5.01.01.	बुनियादी शुल्क (स्क्रिप डेबिट के जरिए सहित)					
5.01.01.01.	स्क्रिप डेबिट के अलावा अन्य	0037	106525.93	97950.00	128940.00	
5.01.01.02.	स्क्रिप आधारित विभिन्न योजनाओं के कारण आरओडीटीईपी लेजर में डेबिट के द्वारा	0037	...	13000.00	20740.00	
जोड़-बुनियादी शुल्क (स्क्रिप डेबिट के माध्यम से किए गए सहित)			106525.93	110950.00	149680.00	
5.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	
5.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	887.41	850.00	880.00	
5.01.04.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0037	56.04	
5.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	8.12	
5.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	13447.39	14800.00	12745.00	

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	(₹ करोड़) बजट 2022-2023
5.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	-13.52	800.00	775.00	870.00
5.01.11.		0037	24450.00	27400.00
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>			<i>120911.37</i>	<i>127400.00</i>	<i>188530.00</i>	<i>211450.00</i>
5.02.	निर्यात शुल्क	0037	-1188.17	100.00	-900.00	50.00
5.03.	निर्यात पर उपकर	0037	9214.64	3500.00	1370.00	1500.00
5.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	2290.98	5000.00
5.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	169.49
5.06.	जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	651.99
5.07.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037
5.08.	आकलन के लिए अग्रिम भुगतान की रसीद	0037	87.85
5.09.	सुरक्षा शुल्क	0037	1986.81
5.10.	सड़क और अवसंरचना उपकर	0037	1.57
5.13.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	623.86
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>134750.39</i>	<i>136000.00</i>	<i>189000.00</i>	<i>213000.00</i>
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
6.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	54059.55	47500.00	26125.00	26900.00
6.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	26895.29
6.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	85289.24
6.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	5098.81	5250.00	5250.00	5500.00
6.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	79358.52	74350.00	92970.00	95750.00
6.06.	तम्बाकू उत्पादों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.19
6.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
6.07.01.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0038	0.72
6.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	0.49
6.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	10894.45	9900.00	17500.00	18020.00
6.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038
6.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	0.35
6.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038
6.07.07.	अन्य	0038
6.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	0038	0.01
6.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	-0.07
6.07.10.	मोटर स्प्रिट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर उत्पाद शुल्क	0038	123596.45	198000.00	203235.00	138450.00
6.07.11.	पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)	0038	48920.00	50380.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>134492.40</i>	<i>207900.00</i>	<i>269655.00</i>	<i>206850.00</i>
6.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
6.08.01.	रबड़	0038	0.04
6.08.02.	जूट	0038	0.06
6.08.03.	चाय	0038	0.05
6.08.04.	तेल और तेल के बीज	0038	0.14
6.08.05.	सूत	0038	0.02
6.08.06.	तंबाकू	0038	0.01
6.08.07.	कागज	0038	0.01
<i>जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>0.33</i>
6.09.	उत्पाद संबंधी अन्य शुल्क	0038	-17.98
6.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	4374.20
6.11.	विद्युत उत्पाद पर उत्पाद शुल्क	0038

						(₹ करोड़)
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023	
6.12.	कपड़ा और कपड़े के बने वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.07
6.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038
6.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.56
6.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-2.20
6.16.	अन्य शुल्क	0038	35.42
6.17.	जन्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.05
6.18.	विविध प्राप्तियां	0038	83.75
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			389667.08	335000.00	394000.00	335000.00
7. सेवा कर						
7.01.	संग्रहण	0044	1579.51	1000.00	1000.00	2000.00
7.02.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0044	5.09
7.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	2.81
7.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	17.34
7.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	10.60
7.06.	अन्य प्राप्तियां	0044	-0.51
जोड़-सेवा कर			1614.84	1000.00	1000.00	2000.00
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर	0005	456333.97	530000.00	570000.00	660000.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	7251.43
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	85191.91	100000.00	105000.00	120000.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			548777.31	630000.00	675000.00	780000.00
9. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
9.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
9.02.	अन्य कर	0045	2081.46
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			2081.46
10. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
10.01.	भू राजस्व	0710	9.20	36.41	36.41	27.05
10.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	238.08	381.54	381.54	422.90
10.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	874.19	1555.03	1555.03	1716.50
10.04.	बिक्री कर	0710	988.54	1342.79	1342.79	1487.01
10.05.	वाहनों पर कर	0710	192.49	333.09	333.09	368.45
10.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	3.92	25.25	25.25	28.50
10.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	23.64	58.00	58.00	64.00
10.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	242.08	0.03	0.03	0.11
10.09.	केंद्र शासित माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	2764.20	3327.13	3327.13	3705.61
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			5336.34	7059.27	7059.27	7820.13
11. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
11.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-721.19	-850.00	-880.00	-900.00
11.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-5098.81	-5250.00	-5250.00	-5500.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-5820.00	-6100.00	-6130.00	-6400.00
12. घटाइए-राज्यों का हिस्सा						
12.		0710	-594996.76	-665562.74	-720556.85	-816649.47
13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार समायोजित राज्यों हिस्से						
13.		0710	-24227.77	...
जोड़-कर राजस्व			1426287.08	1545396.53	1765144.65	1934770.66
कुल जोड़			1426287.08	1545396.53	1765144.65	1934770.66

1. निगम कर : यह कर कंपनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2021-2022 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 5,47,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 6,35,000 करोड़ रुपए है। 2022-2023 का बजट अनुमान 7,20,000 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर :** यह लोगों, कंपनियों के अलावा, फर्मों पर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतः प्रतिभूति लेन-देन कर, यह स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड यूनिटों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में लेन-देन पर प्रभावरित किया जाता है। आयकर से आय जो बजट अनुमान 2021-2022 में 5,61,000 करोड़ रुपये था, संशोधित अनुमान 2021-2022 में यह 6,15,000 करोड़ रुपये है। 2022-2023 का बजट अनुमान 7,00,000 करोड़ रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 से आय कर के 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (अधिभार सहित) लगाया जाता है।

3. **संपदा कर:** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। 2020-21 में संपदा कर की वास्तविक संग्रह 11.85 करोड़ रुपये था। इस कर को 2016-17 से समाप्त कर दिया गया है।

5. **सीमा शुल्क :** 2021-2022 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. 1,75,000 करोड़ रुपए है जबकि व.अ. 1,36,000 करोड़ रुपए हैं। 2022-2023 के लिए बजट अनुमान 2,05,000 करोड़ रुपए है।

5.01.01. **बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स डेबिट के द्वारा सहित) :** सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।

5.01.01.01 **स्क्रिप्स डेबिट के अलावा अन्य :** सीमा शुल्क का मूल्य शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माफ पर उग्रहणीय है।

5.1.01.02 **विभिन्न स्क्रिप्स आधारित योजनाओं के लिए देय आरओडीटीईआर लेजर में डेबिट के द्वारा :** वर्तमान योजनाओं के अलावा, कुछेक शुल्क क्रेडिट स्क्रिप, जिसका प्रयोग वर्तमान वर्ष में किया जाता है, वैसी योजनाओं के संबंध में हैं तो एफटीपी के संदर्भ में पहले चल रही थीं और जिनमें वर्तमान वर्ष में शुल्क क्रेडिट बकाया राशि की अनुमति दी गई है। शुल्क क्रेडिट योजना में निर्यातकों के लिए कुछेक क्रेडिट राशि की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रयोग मूल्य सीमाशुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। शुल्क क्रेडिट की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ निर्याती वस्तुओं पर लगाए गए कर/शुल्क/उपकर की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई है। स्क्रिप निर्यातक के बही खाते, जिसका अनुरक्षण सीमाशुल्क एफडीआई में किया जाता है, में क्रेडिट किया जाता है। ऐसी योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है –

- (i) भारत से मर्चेन्डाइज निर्यात योजना (एमईआईएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 11000 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 3288.49 करोड़ रुपए)
- (ii) भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) (बजट अनुमान 2021-22 में 1335 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 4000.80 करोड़ रुपए)
- (iii) केन्द्र और राज्य सरकार के करों तथा उपकरों पर छूट योजना (आरओएससीटीएफ) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 2812 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 7640.60 करोड़ रुपए)
- (iv) राज्य उपकर छूट योजना (आरओएसएल) संशोधित अनुमान 2021-22 में 90 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 66 करोड़ रुपए
- (v) मोबाईल फोन के लिए 2% अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन (बजट अनुमान 2022-23 में 12.20 करोड़ रुपए)
- (vi) अनायातीत उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी) संशोधित अनुमान 2021-22 में 5242 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 14245.40 करोड़ रुपए)
- (vii) टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 224 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 1032.68 करोड़ रुपए)
- (viii) फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) और बाजार संबंध फोकस प्रोडक्स स्कीम (संशोधित अनुमान 2021-22 में 10 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 377.12 करोड़ रुपए)
- (ix) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 10 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 116.85 करोड़ रुपए)
- (x) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकजीयूवाई) (बजट अनुमान 2022-23 में 90.76 करोड़ रुपए)
- (xi) स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 10.34 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2022-23 में 169.20 करोड़ रुपए)
- (xii) इंकीमेंटल एक्सपोर्ट प्रोत्साहन योजना (वार्षिक और तिमाही) (बजट अनुमान 2022-23 में 149.90 करोड़ रुपए)
- (xiii) भारतीय योजना से सेवा प्राप्त (एसएफआईएस) (संशोधित अनुमान 2021-22 में 6.66 करोड़ रुपए)

5.01.02. **सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क :** सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

5.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछेक निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर लगाया जाता है और वित्त अधिनियम 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य मदों पर (एनसीसीडी) को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है।

5.01.07 स्वास्थ्य उपकर: यह उपकर कुछेक चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

5.1.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी): कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय को वित्तपोषित करने के लिए वित्त अधिनियम 2021 के तहत सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

5.1.12. विभिन्न स्क्रिप आधारित योजनाओं के लिए देय आरओडीटीईपी लेजर में डेबिट के द्वारा : निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क और कर छूट की योजना का उद्देश्य निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर लगाए गए कर/शुल्क/उपकर की प्रतिपूर्ति करना है, प्रतिपूर्ति की गई राशि निर्यातक के लेजर खाते सीमा शुल्क ईडीआई में जमा किया जाता है, इस जमाराशि का प्रयोग आयातीत वस्तुओं पर मूल्य सीमा शुल्क को कम करने के लिए लेजर में जमा किया जाता है। आरओडीटीईपी योजना 1 जनवरी, 2021 से लागू की गई है।

5.02. निर्यात शुल्क: कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोह अयस्क और लौहा के कंसट्रेट्स क्रोमियम आदि के निर्यात पर लगाया जाता है।

6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2021-2022 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,94,000 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,35,000 करोड़ रुपए है। 2022-2023 के लिए ब.अ. 3,35,000 करोड़ रुपए है।

6.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क : बुनियादी उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इस शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर है)

6.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सड़क और अवसंरचना-उपकर के स्थान पर लगाया गया है।

6.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछेक निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर लगाया जाता है और वित्त अधिनियम 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य मदों पर (एनसीसीडी) को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है।

6.05. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

6.07.10. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के द्वारा लगाया गया है। इसके स्थान पर सड़क और अवसंरचना उपकर लगाया गया है।

6.7.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) : कृषि अवसंरचना और विकास उपकर वित्त अधिनियम, 2021 के तहत कृषि अवसंरचना तथा अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाया गया है।

7. सेवा कर : सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है। वर्ष 2021-22 के सेवाकर अवशिष्ट (बकाया राशि) का संशोधित अनुमान 1,000 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 1000 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के सेवा कर अवशिष्ट (बकाया राशि) का बजट अनुमान 2000 करोड़ रुपये है।

8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 5,70,000 करोड़ रुपए है जबकि इसका ब.अ. 5,30,000 करोड़ रुपए का है।

सीजीएसटी का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 6,60,000 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के संबंध में संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 क्रमशः 1,05,000 करोड़ रुपए और 1,20,000 करोड़ रुपए है।

13. वास्तविक के अनुसार राज्य के भाग को समायोजित करने के पश्चात् घटाएं: कर अंतरण के समायोजन पूर्व अवधि के लेखा के समायोजन के अनुसार राज्यों को 24,227.77 करोड़ रुपए देय है, जिसके इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की तुलना में 677.34 करोड़ रुपए अतिरिक्त अंतरण की वसूली के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करों के वास्तविक संग्रह और अनुमानित हिस्सेदारी के बीच के अंतर के कारण राज्य सरकारों को 20,852.46 करोड़ रुपए देय है और 4,052.65 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2018-19 के गैर विनियोजित आईजीएसटी का भाग है। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य (विधानमंडल वाले अब संघ राज्य क्षेत्र को समायोजित हिस्सेदार 41.72 करोड़ रुपए है, जिसे केन्द्रीय सहायता के रूप में अंतरित किया जाएगा।

कर भिन्न राजस्व

कर भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023
(₹ करोड़)					
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ					
1. ब्याज प्राप्तियां					
1.01. राज्य	0049	6294.94	3813.15	3307.00	2629.00
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	21.96	59.02	58.00	58.00
1.03. अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	53211.86	46613.47	34960.92	32165.65
1.03.01. घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-42415.35	-38944.47	-17431.92	-16852.65
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>		<i>17113.41</i>	<i>11541.17</i>	<i>20894.00</i>	<i>18000.00</i>
2. लाभांश और लाभ					
2.01. सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	39750.22	50027.81	46000.00	40000.00
2.02. भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश अधिशेष लाभ	0050	57127.53	53510.61	101353.00	73948.00
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>		<i>96877.75</i>	<i>103538.42</i>	<i>147353.00</i>	<i>113948.00</i>
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ		113991.16	115079.59	168247.00	131948.00
राजकोषीय सेवाएं					
3. राजकोषीय सेवाएं					
3.01. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	1093.16	616.00	1100.00	1210.00
3.02. अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	75.64	85.90	83.72	86.02
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>		<i>1168.80</i>	<i>701.90</i>	<i>1183.72</i>	<i>1296.02</i>
जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं		1168.80	701.90	1183.72	1296.02
4. सामान्य सेवाएं					
4.01. प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01. लोक सेवा आयोग	0051	88.56	97.50	95.00	97.00
4.01.02. पुलिस	0055	7290.59	9913.75	7745.60	8040.60
4.01.03. पूर्ति और निपटान	0057
4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	11.73	10.68	10.76	10.72
4.01.05. लोक निर्माण कार्य	0059	327.99	429.33	380.75	440.02
4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	2518.09	5921.56	3498.95	5850.84
4.01.07. जैल्स	0056
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>		<i>10236.96</i>	<i>16372.82</i>	<i>11731.06</i>	<i>14439.18</i>
4.02. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1293.79	2409.48	1978.25	2305.14
4.02.02. घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>		<i>1293.79</i>	<i>1409.48</i>	<i>978.25</i>	<i>1305.14</i>
4.03. विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01. विविध सामान्य सेवाएं	0075	18309.98	22841.57	23275.01	24151.85
4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-15768.89	-19900.00	-19900.00	-20000.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>		<i>2541.09</i>	<i>2941.57</i>	<i>3375.01</i>	<i>4151.85</i>
4.04. रक्षा सेवाएं					
4.04.01. रक्षा सेवाएं-थल सेना	0076	4369.45	4102.78	4308.31	4319.31
4.04.01.01. प्राप्तियां घटाइए	0076	-4369.45	-4102.78	-4308.31	-4319.31
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02. रक्षा सेवाएं-नौसेना	0077	1544.29	700.00	700.00	750.00
4.04.02.01. प्राप्तियां घटाइए	0077	-1544.29	-700.00	-700.00	-750.00
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	(₹ करोड़) बजट 2022-2023
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1790.74	1300.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	प्राप्तियां घटाइए	0078	-1790.74	-1300.00	-1300.00	-1300.00
	<i>निवल</i>	
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	1652.56	2276.40	323.33	0.50
4.04.04.01.	प्राप्तियां घटाइए	0079	-1652.56	-2276.40	-323.33	-0.50
	<i>निवल</i>	
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	368.11	300.00	350.00	300.00
4.04.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0080	-368.11	-300.00	-350.00	-300.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>	
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		14071.84	20723.87	16084.32	19896.17
	जोड़-सामान्य सेवाएं		14071.84	20723.87	16084.32	19896.17
	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
5.	सामाजिक सेवाएं					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	58.30	167.50	112.02	192.03
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	1148.73	1054.46	1183.29	1299.75
5.03.	परिवार कल्याण	0211	6.46	15.06	5.06	6.06
5.04.	आवास	0216	217.64	330.71	324.43	334.94
5.05.	शहरी विकास	0217
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	138.25	44.55	22.38	33.28
5.07.	प्रसारण	0221	1788.52	1164.75	1685.02	1035.02
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	43.08	103.56	40.63	40.77
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.55	0.49	2.48	2.96
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	389.12
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		3790.65	2881.08	3375.31	2944.81
	जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं		3790.65	2881.08	3375.31	2944.81
	आर्थिक सेवाएं					
6.	आर्थिक सेवाएं					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	520.78	523.05	515.05	515.06
6.01.02.	पशु पालन	0403	31.87	20.70	17.25	20.70
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	378.93	390.20	340.00	370.00
6.01.03.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-334.41	-498.00	-340.00	-370.00
	<i>निवल</i>		44.52	-107.80
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.41	2.35	2.20	2.26
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	53.17	40.45	60.70	60.51
6.01.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0406	...	-5.00	-5.00	-5.00
	<i>निवल</i>		53.17	35.45	55.70	55.51
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	574.24	660.30	628.20	625.00
6.01.06.01.	प्राप्तियां घटाइए	0408
	<i>निवल</i>		574.24	660.30	628.20	625.00
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	103.58
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	23.18	24.08	23.16	23.67
6.01.09.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0552	9.08
6.01.10.	सहयोग	0425
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		1363.83	1158.13	1241.56	1242.20

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	9.50	42.00	20.00	20.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	89.60	2.80	160.00	5.00
	जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		99.10	44.80	180.00	25.00
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	4317.89	3846.62	4395.10	4081.97
6.03.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन माल सूची	0801	-2866.96	-2753.55	-2478.67	-2561.72
	निवल		1450.93	1093.07	1916.43	1520.25
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	6662.20	10231.00	13208.95	11889.99
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	14.53	3197.85	100.00	3200.00
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.01	0.06	0.06	0.06
	निवल-ऊर्जा		8127.67	14521.98	15225.44	16610.30
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	43.40	35.93	42.01	43.02
6.04.02.	उद्योग	0852	1951.67	4064.24	4600.95	4130.14
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-1713.41	-3693.36	-3293.59	-3861.70
6.04.02.03.	सेक्टर में अन्य प्राप्तियां घटाइए	0852	-996.99	...
	निवल		238.26	370.88	310.37	268.44
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	641.24	471.45	659.40	673.00
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	164.95	200.00	310.00	228.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-164.95	-200.00	-310.00	-228.00
	निवल	
	निवल-उद्योग और खनिज		922.90	878.26	1011.78	984.46
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	384.07	340.00	378.00	378.00
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1051	-368.95	-340.00	-360.00	-360.00
	निवल		15.12	...	18.00	18.00
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	112.38	142.18	159.12	162.03
6.05.03.	नागर विमानन	1053	144.53	75.30	52.85	52.85
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	10478.52	23310.00	25310.00	33310.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	29.96
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	10632.31	17710.05	13398.34	14725.87
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-10632.31	-17710.05	-13398.34	-14725.87
	निवल	
6.05.08.	सड़क परिवहन	1055
	निवल-परिवहन		10780.51	23527.48	25539.97	33542.88
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	45500.65	53986.72	71959.24	52806.36
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	84.86	84.31	113.33	109.07
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1044.68	1325.58	1904.49	644.69
	जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		1129.54	1409.89	2017.82	753.76
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	374.02	357.40	414.78	414.78
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	2946.93	4472.00	3408.32	3745.24
6.08.02.02.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0515	10.98	...	10.00	10.00

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	(₹ करोड़) बजट 2022-2023
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			2957.91	4472.00	3418.32	3755.24
6.08.03.	पर्यटन	1452	3.92	7.10	16.50	4.20
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.01	0.06	0.07	0.08
जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं			3335.86	4836.56	3849.67	4174.30
निवल-आर्थिक सेवाएं			71260.06	100363.82	121025.48	110139.26
7. रेल राजस्व						
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्ति	1001	213.03	350.00	250.00	400.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्ति	1001	-213.03	-350.00	-250.00	-400.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	138264.02	214753.36	199391.88	237152.87
7.02.01.	घटाइए प्राप्ति	1002	-138264.02	-214753.36	-199391.88	-237152.87
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2306.50	2356.64	2358.12	2447.13
7.03.01.	घटाइए प्राप्ति	1003	-2306.50	-2356.64	-2358.12	-2447.13
निवल- रेल राजस्व		
जोड़-आर्थिक सेवाएं			71260.06	100363.82	121025.48	110139.26
सहायता-अनुदान तथा अंशदान						
8. सहायता अनुदान और अंशदान						
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	2.65	15.00	69.05	25.40
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	...	5.00	2.00	1.91
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	155.66	15.00	182.00	114.20
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605
जोड़-बहुपक्षीय			158.31	35.00	253.05	141.51
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	1.46	9.00	37.00	41.00
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	15.11	7.00	95.00	181.00
8.01.02.03.	जापान	1605	...	125.00	71.00	100.00
जोड़-द्विपक्षीय			16.57	141.00	203.00	322.00
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	805.24	450.00	161.56	152.80
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	20.90	11.00	7.39	3.69
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय			826.14	461.00	168.95	156.49
जोड़-विदेश अनुदान सहायता			1001.02	637.00	625.00	620.00
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	750.62	110.00	719.84	...
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान			1751.64	747.00	1344.84	620.00
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान			1751.64	747.00	1344.84	620.00
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व						
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व						
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1710	1598.31	2530.64	2530.64	2806.81
कुल जोड़			207632.46	243027.90	313791.31	269651.07

1.1. राज्य : राज्यों को जारी ऋण पर ब्याज प्राप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखितों पर ब्याज शामिल हैं।

(क) योजना-भिन्न स्कीम (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत विभिन्न समयावधि के दौरान पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को ऋण संवितरण;

(ख) ब्याज के विभिन्न दरों पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की संवितरित पुराने ऋणों को अब समान ब्याज दर पर निर्धारित किया जाएगा;

(ग) 20 वर्षों की परिपक्वता अवधि सहित राज्य योजना स्कीम को सहायता के लिए संवितरित ऋण;

(घ) पुलिस बल को आधुनिकीकरण करने के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें ब्लॉक ऋण, अन्य देशों से प्रत्यर्पितों को पुनर्वास और संसाधन में कमी को पूरा करने के लिए ऋण इत्यादि शामिल है।

- 1.2. **संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) :** संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) को दिए गए ऋण पर व्याज।
- 1.3. **अन्य व्याज प्राप्ति:** "अन्य व्याज प्राप्ति" के अंतर्गत अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पत्तन न्यास और अन्य संवैधानिक निकाय, सहकारिता, सरकारी कर्मचारी आदि और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय के अग्रिम ऋणों पर व्याज के संबंध में हैं।
2. **लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. **अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. **लोक सेवा आयोग:** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।
- 4.01.02. **पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बलों के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।
- 4.01.03. **पूर्ति तथा निपटान:** पूर्ति तथा निपटान के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.04. **स्टेशनरी तथा मुद्रण :** स्टेशनरी तथा मुद्रण के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.06. **अन्य प्रशासनिक सेवाओं :** अन्य प्रशासनिक सेवाओं शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।
- 4.03.02. **घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैटिन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति कैटिन स्टोर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदान की गई रक्षा सेवा से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- 5.01. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।
- 5.03. **परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. **आवास:** "आवास" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. **सूचना और प्रचार प्रसार:** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्ति में रोजगार समाचार और अन्य प्रकाशनों, फिल्म प्रभाग निदेशालय तथा संपर्क और संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) की प्राप्ति शामिल हैं।
- 5.07. **प्रसारण :** डीटीएच प्रचालकों, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाओं (एफएम) से लाइसेंस शुल्क से और अन्य प्राप्ति
- 5.08. **श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित हैं।
- 6.01. **कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03. ऊर्जा: इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.03.01 विद्युत : "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।

6.03.02 पेट्रोलियम : "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन, लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

- (क) समय-समय पर यथा संशोधित खनिज तेल पर रॉयल्टी ऑयलफील्ड (विनियमन और विकास अधिनियम, 1948) की धारा 6 का और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 द्वारा विनियमित है। पीएंडएनजी नियमावली 1959 के नियम 14 के अंतर्गत, रॉयल्टी क्रूड ऑयल उत्पादन, कन्डनसेट और प्राकृतिक गैस पर देय है। ऑनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकार और ऑफसौर क्षेत्रों से उत्पादन पर केंद्रीय सरकार के लिए देय है। किसी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर, जिसमें क्रूड ऑयल शामिल है, ऑयल फील्ड अथवा तेल कूपों जैसा भी मामला हो पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (ख) लाभ पेट्रोलियम: लाभ पेट्रोलियम से अभिप्रेत उत्पादित और पेट्रोलियम की लागत को घटाकर और परिगणित करके किसी विशेष अवधि के दौरान संपर्क क्षेत्रों से बचत तथा संगत करार/संविदा के अनुसार सरकार के साथ साझा किए गए पेट्रोलियम का कुल मूल्य है। कोई लाभ पेट्रोलियम राष्ट्रीय तेल कंपनियों के लिए दिए गए आबंटन ब्लॉकों के लिए देय है।
- (ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क (पीईएल): (i) पीईएल शुल्क किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस का अनन्य रूप से अन्वेषण करने के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार के प्रतिफल में किसी लाइसेंस धारी द्वारा भुगतान है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः क्षेत्र और लाइसेंस की अवधि जुड़ी होती है तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार लाइसेंस धारियों द्वारा देय है, (ii) ऑनसौर क्षेत्रों के मामले में पीईएल शुल्क संबंधित राज्य सरकार को तथा ऑफसौर फील्डों के मामले में केंद्रीय सरकार को जाता है।
- (घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी): पीएलपी से अभिप्रेत कोल बेड भीथेन ब्लॉक में संगत संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर प्राप्त करने के पश्चात भारत सरकार के लिए दिए जाने वाले भुगतान हैं।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग: उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: 'अन्य संचार सेवाएं' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः टेलीकॉम प्रचालकों से लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियों से संबंधित है। दूरसंचार विभाग इसके द्वारा लाइसेंस दिए गए विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क एकत्र करता है। लाइसेंस शुल्क पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभारों, पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं पर डाले गए रोमिंग प्रभाग तथा कंपनी के लेखा परीक्षित खातों में दर्शाए गए उनके कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केंद्रीय सरकार को पास किए गए बिक्री कर/सेवा कर जैसी अनुमत कटौतियों के पश्चात समायोजित सकल राजस्व (एजीआर के आठ प्रतिशत पर वसूल किया जाता है।

केपटिव उपयोग और केपटिव मोबाइल रेडियो ट्रेकिंग सेवा लाइसेंसों के लिए लाइसेंस दिए गए टेलीकॉम नेटवर्कों के लिए, लाइसेंस शुल्क टर्मिनलों, चैनलों की संख्या तथा/अथवा नेटवर्कों की पूंजीगत लागत पर निर्भर करते हुए नियत दरों पर वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एकवारगी प्रवेश शुल्क भी नए ऑपरेटरों से एकत्र किया जाता है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणी में (i) बेसिक सेवा, (ii) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (iii) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, (iv) यूनिफाइड लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लॉग डिस्टेंस, (vi) नेशनल लॉग डिस्टेंस, (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता, (viii) कामर्शियल सीयूजी वीसेट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेस, (x) केपटिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेस, (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनर्विक्री।

लाइसेंस शुल्क टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत हिस्से के आधार पर एकत्र किया जाता है। जिसमें यूनिवर्सल एक्सेसलेवी का एक घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क, टेरिफ दर और देश में टेलीकॉम सेवा सेक्टर की संवृद्धि पर निर्भर होता है।

यह विभाग वायर लैस उपकरण रखने के लिए लाइसेंस शुल्क और विभिन्न निकायों से रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए रॉयल्टी भी एकत्र करता है। सेवा प्रदाताओं से वसूले गए प्रभार स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में सामान्यतः जाने जाते हैं और अपने नेटवर्क (कामर्शियल वीसेट लाइसेंस) के लिए निर्दिष्ट स्पेक्ट्रम की मात्रा पर निर्भर करते हुए अपने समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में अथवा फिलेट दरों पर या किसी फॉर्मूले के आधार पर परिगणित किए जाते हैं।

स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए टेलीकाम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल कामर्शियल वीसेट इत्यादि) से विभाग द्वारा वसूले जाते हैं तथा उनके नेटवर्क के लिए निर्दिष्ट मात्रा पर निर्भर करते हुए उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिगणित किए जाते हैं।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान की प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मुल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियों में मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व : रेल राजस्व प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व : (विधान मण्डल रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन पर्यटन तथा विद्युत आदि से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियां		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	(₹ करोड़) बजट 2022-2023
ऋण भिन्न प्राप्तियां						
1. ऋण और अग्रिमों की वसूलियां						
1.01.	राज्य सरकारें					
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	16063.28	8989.14	9012.04	8990.94
1.01.02.	वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00	-100.00
<i>निवल-राज्य सरकारें</i>			<i>16063.28</i>	<i>8889.14</i>	<i>8912.04</i>	<i>8890.94</i>
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	43.71	100.00	100.00	100.00
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	310.72	424.20	378.55	348.29
1.04.	अन्य ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	13505.45	54861.67	23109.41	15226.79
1.04.02.	वसूलियां	9001	-10194.48	-51275.01	-10525.00	-10275.02
<i>निवल-अन्य ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>			<i>3310.97</i>	<i>3586.66</i>	<i>12584.41</i>	<i>4951.77</i>
<i>निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियां</i>			<i>19728.68</i>	<i>13000.00</i>	<i>21975.00</i>	<i>14291.00</i>
2. विविध पूंजी प्राप्तियां						
2.01.	विनिवेश प्राप्तियां	4000	37896.96	75000.00	78000.00	65000.00
2.02.	सरकारी क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकारी अंश का विनिवेश	4000	...	100000.00
<i>जोड़-विविध पूंजी प्राप्तियां</i>			<i>37896.96</i>	<i>175000.00</i>	<i>78000.00</i>	<i>65000.00</i>
जोड़-ऋण भिन्न प्राप्तियां			57625.64	188000.00	99975.00	79291.00
ऋण प्राप्तियां						
3. उधार						
3.01.	बाजार ऋण					
3.01.01.	सकल उधार	6001	1260115.73	1205500.00	1046500.00	1495000.00
3.01.02.	वापसी अदायगी	6001	-227208.31	-280792.28	-270728.72	-376387.56
<i>निवल-बाजार ऋण</i>			<i>1032907.42</i>	<i>924707.72</i>	<i>775771.28</i>	<i>1118612.44</i>
3.02.	प्रतिभूतियों का अंतरण					
3.02.01.	सकल उधार	6001	157042.44	180000.00	120000.00	100000.00
3.02.02.	वापसी अदायगी	6001	-153417.57	-180000.00	-120000.00	-100000.00
<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>			<i>3624.87</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.03.	जीएसटी की उपकर की कमी को पूरा करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को बेक-टू-बेक ऋण प्रदान करने के लिए उधार					
3.03.01.	सकल उधारी	6001	110208.00	...	159000.00	...
3.03.02.	घटा - निवल प्राप्तियां	6001	-110208.00	...	-159000.00	...
<i>निवल-जीएसटी की उपकर की कमी को पूरा करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को बेक-टू-बेक ऋण प्रदान करने के लिए उधार</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.04.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना					
3.04.01.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	6001	20000.00	20000.00	15000.00	0.01

		(₹ करोड़)				
पूंजी प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023	
3.04.02.	घटाइए प्राप्तियां	6001	-20000.00	-20000.00	-15000.00	-0.01
	<i>निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>	
3.05.	अन्य सरकारी नियंत्रित बैंकिंग संस्थाओं को पुनर्पूजीकरण बांड जारी करना					
3.05.01.	प्रतिभूति का निर्गम	6001	...	0.01
3.05.02.	घटाइए प्राप्तियां	6001	...	-0.01
	<i>निवल-अन्य सरकारी नियंत्रित बैंकिंग संस्थाओं को पुनर्पूजीकरण बांड जारी करना</i>	
3.06.	डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
3.06.01.	01-प्राप्तियां	6001	4000.00	...	7000.00	...
3.06.02.	02-पुनर्भूगतान	6001	-4000.00	-7000.00	-7000.00	-9893.68
	<i>निवल-डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)</i>		...	-7000.00	...	-9893.68
3.07.	अल्पकालिक उधार					
3.07.01.	14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.07.01.01.	सकल उधार	6001	3745789.93	3604159.92	3875630.66	4069412.19
3.07.01.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-3695125.03	-3604159.92	-3875630.66	-4069412.19
	<i>निवल</i>		50664.90
3.07.02.	91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.07.02.01.	सकल उधार	6001	743488.03	683812.15	909767.52	821251.38
3.07.02.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-732774.82	-656245.84	-802464.83	-843270.56
	<i>निवल</i>		10713.21	27566.31	107302.69	-22019.18
3.07.03.	182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.07.03.01.	सकल उधार	6001	488606.87	450842.74	445464.59	504945.48
3.07.03.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-507349.73	-366157.61	-394426.48	-468945.48
	<i>निवल</i>		-18742.86	84685.13	51038.11	36000.00
3.07.04.	364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.07.04.01.	सकल उधार	6001	458240.00	393542.60	399899.20	435918.38
3.07.04.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-217670.00	-455794.04	-458240.00	-399899.20
	<i>निवल</i>		240570.00	-62251.44	-58340.80	36019.18
3.07.05.	नकद प्रबंधन बिल					
3.07.05.01.	कुल उधार	6001	80000.00	250000.00	...	100000.00
3.07.05.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-160000.00	-250000.00	...	-100000.00
	<i>निवल</i>		-80000.00
3.07.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.07.06.01.	सकल उधार	6001	398990.00	1000000.00	...	500000.00
3.07.06.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-398990.00	-1000000.00	...	-500000.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-अल्पकालिक उधार</i>		203205.25	50000.00	100000.00	50000.00
	<i>निवल-उधार</i>		1239737.54	967707.72	875771.28	1158718.76
4.	लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां					
4.01.	प्राप्तियां	6001	526234.99	483270.38	678272.55	566958.67
4.02.	पुनर्भूदाय	6001	-42502.46	-91343.37	-86748.55	-141509.67
	<i>निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</i>		483732.53	391927.01	591524.00	425449.00

						(₹ करोड़)
पूंजी प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023	
5. राज्य भविष्य निधियां						
5.01.	प्राप्तियां	8009	69390.47	75000.00	70000.00	70000.00
5.02.	संवितरण	8009	-50876.87	-55000.00	-50000.00	-50000.00
<i>निवल-राज्य भविष्य निधियां</i>			<i>18513.60</i>	<i>20000.00</i>	<i>20000.00</i>	<i>20000.00</i>
6. अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)						
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियां	6001
6.01.02.	संवितरण	6001	-0.55	...	-51.53	...
<i>निवल-राहत बांड</i>			<i>-0.55</i>	<i>...</i>	<i>-51.53</i>	<i>...</i>
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	19997.92	15000.00	15741.00	15741.00
6.02.02.	संवितरण	6001	-317.09	-3087.47	-3292.05	-16893.61
<i>निवल-बचत बांड</i>			<i>19680.83</i>	<i>11912.53</i>	<i>12448.95</i>	<i>-1152.61</i>
6.03.	सोवरेन गोल्ड बाण्ड स्कीम					
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	16048.74	12000.00	16141.86	16141.86
6.03.02.	संवितरण	6001	-11.49	-696.15	-120.06	-300.00
<i>निवल- सोवरेन गोल्ड बाण्ड स्कीम</i>			<i>16037.25</i>	<i>11303.85</i>	<i>16021.80</i>	<i>15841.86</i>
6.04.	गोल्ड मानेटाइजेशन स्कीम					
6.04.01.	प्राप्तियां	6001	1273.89	2500.00	1900.00	2000.00
6.04.02.	संवितरण	6001	-9.29	-380.00	-250.00	-270.00
<i>निवल- गोल्ड मानेटाइजेशन स्कीम</i>			<i>1264.60</i>	<i>2120.00</i>	<i>1650.00</i>	<i>1730.00</i>
6.05.	अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)					
6.05.01.	प्राप्तियां	9002	2779488.55	2311318.29	2388672.15	2553612.85
6.05.02.	संवितरण	9002	-2793776.08	-2274806.47	-2501280.69	-2525331.89
6.05.03.	घटाइए प्राप्तियां	9002
<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)</i>			<i>-14287.53</i>	<i>36511.82</i>	<i>-112608.54</i>	<i>28280.96</i>
6.06.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
6.06.01.	प्राप्तियां	6001	0.24
6.06.02.	अदायगी	6001
<i>निवल-अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि</i>			<i>0.24</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
6.07.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं					
6.07.01.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.07.01.01.	प्राप्तियां	6001	8285.21	1000.01	3641.67	1000.01
6.07.01.02.	पुनर्अदायगी	6001	-10055.40	-7000.00	-7000.00	-7000.00
6.07.01.03.	कम प्राप्तियों को घटाएं	6001	-7771.35	-1128.35	-4270.12	-1593.53
<i>निवल</i>			<i>-9541.54</i>	<i>-7128.34</i>	<i>-7628.45</i>	<i>-7593.52</i>
6.07.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ					
6.07.02.01.	प्राप्तियां	6001	500.00	0.01	500.00	500.00
6.07.02.02.	पुनर्अदायगी	6001	-319.75	-473.50	-426.26	-480.36
<i>निवल</i>			<i>180.25</i>	<i>-473.49</i>	<i>73.74</i>	<i>19.64</i>

			वास्तविक	बजट	संशोधित	(₹ करोड़) बजट
पूंजी प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-2023	
6.07.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
6.07.03.01.	प्राप्तियां	6001	75.60	89.15	89.20	89.20
6.07.03.02.	पुनर्भदायगी	6001	-135.89	-71.11	-140.78	-161.02
	निवल		-60.29	18.04	-51.58	-71.82
6.07.04.	अफ्रीकी विकास बैंक और निधि					
6.07.04.01.	प्राप्तियां	6001	74.80	39.17	39.25	4.32
6.07.04.02.	पुनर्भदायगी	6001	-32.58	-24.19	-33.72	-33.53
	निवल		42.22	14.98	5.53	-29.21
	निवल-अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं		-9379.36	-7568.81	-7600.76	-7674.91
	निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)		13315.48	54279.39	-90140.08	37025.30
7.	विदेशी ऋण					
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	27850.93	22936.00	22362.25	15471.67
7.01.01.02.	पुनर्भदायगी	6002	-7073.16	-7615.90	-7324.90	-7323.60
	निवल		20777.77	15320.10	15037.35	8148.07
7.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	12215.63	5383.00	4571.24	2214.10
7.01.02.02.	पुनर्भदायगी	6002	-12009.67	-15293.70	-11325.30	-14890.90
	निवल		205.96	-9910.70	-6754.06	-12676.80
7.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	227.50	384.00	448.80	390.37
7.01.03.02.	पुनर्भदायगी	6002	-167.68	-174.90	-178.30	-226.10
	निवल		59.82	209.10	270.50	164.27
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	24143.83	17212.00	16802.27	14290.74
7.01.04.02.	पुनर्भदायगी	6002	-6159.21	-7212.13	-7039.40	-6982.80
	निवल		17984.62	9999.87	9762.87	7307.94
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002
7.01.05.02.	पुनर्भदायगी	6002	-9.21	-9.24	-9.80	-9.80
	निवल		-9.21	-9.24	-9.80	-9.80
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002
7.01.06.02.	पुनर्भदायगी	6002	-16.20	-16.17	-16.20	-16.30
	निवल		-16.20	-16.17	-16.20	-16.30
7.01.07.	न्यू डेवलपमेंट बैंक					
7.01.07.01.	प्राप्तियां	6002	18194.14	3848.00	6309.99	7149.20
7.01.07.02.	पुनर्भदायगी	6002	...	-85.66	-66.50	-325.30
	निवल		18194.14	3762.34	6243.49	6823.90

		(₹ करोड़)				
पूंजी प्राप्ति	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023	
7.01.08.	एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)					
7.01.08.01.	प्राप्ति	6002	9448.69	5556.00	7178.35	5337.05
7.01.08.02.	अदायगी	6002	-232.40
	निवल		9448.69	5556.00	7178.35	5104.65
	निवल-बहुपक्षीय		66645.59	24911.30	31712.50	14845.93
7.02.	द्विपक्षीय					
7.02.01.	जर्मनी					
7.02.01.01.	प्राप्ति	6002	6493.88	1145.00	1863.88	2089.37
7.02.01.02.	पुनर्भुक्त	6002	-1328.80	-1948.43	-2040.70	-2012.80
	निवल		5165.08	-803.43	-176.82	76.57
7.02.02.	फ्रांस					
7.02.02.01.	प्राप्ति	6002	2323.35	1032.00	874.63	895.82
7.02.02.02.	पुनर्भुक्त	6002	-397.26	-518.40	-526.50	-599.30
	निवल		1926.09	513.60	348.13	296.52
7.02.04.	जापान					
7.02.04.01.	प्राप्ति	6002	18647.92	20798.00	9836.99	24336.95
7.02.04.02.	पुनर्भुक्त	6002	-6494.39	-6767.57	-6466.40	-7266.30
	निवल		12153.53	14030.43	3370.59	17070.65
7.02.06.	संयुक्त राज्य अमेरिका					
7.02.06.01.	प्राप्ति	6002	260.43
7.02.06.02.	पुनर्भुक्त	6002	-164.71	-92.90	-93.80	-92.50
	निवल		95.72	-92.90	-93.80	-92.50
7.02.07.	रूसी परिसंघ					
7.02.07.01.	प्राप्ति	6002	3194.35	6558.00	4225.23	6051.76
7.02.07.02.	पुनर्भुक्त	6002	-868.20	-1109.36	-853.70	-478.90
	निवल		2326.15	5448.64	3371.53	5572.86
7.02.08.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
7.02.08.01.	प्राप्ति	6002	936.92	1170.00	2480.81	2015.00
7.02.08.02.	पुनर्भुक्त	6002	-26.87	-81.64	-82.60	-153.30
	निवल		910.05	1088.36	2398.21	1861.70
	निवल-द्विपक्षीय		22576.62	20184.70	9217.84	24785.80
7.03.	व्यय राज्यों की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के संदर्भ में घटाया गया	6002	-19042.13	-43581.77	-21183.92	-20380.58
	निवल-विदेशी ऋण		70180.08	1514.23	19746.42	19251.15
8.	नकद शेष का आहरण					
8.01.	प्राप्ति	9003	-2241.40	15116.81	4946.64	-169240.51
8.02.	संवितरण	9003	-4946.64	56266.05	169240.51	169992.25
	निवल-नकद शेष का आहरण		-7188.04	71382.86	174187.15	751.74
	जोड़-ऋण प्राप्ति		1818291.19	1506811.21	1591088.77	1661195.95
	कुल जोड़		1875916.83	1694811.21	1691063.77	1740486.95

1.01. राज्य सरकारें: ये वसूलियां राज्य सरकारों को दिए गए अग्रिम ऋणों के संबंध में हैं।

1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले): संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले): ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए गए अग्रिम ऋणों के संबंध में हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्तियां: विविध पूंजी प्राप्तियां: इनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के कुछ भाग के विनिवेश के कारण प्राप्तियां, सामरिक विनिवेश से प्राप्तियां और इसी प्रकार के अन्य लेन-देन शामिल हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाता है। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2022-23 में पूंजी व्यय के संबंध में इनका उपयोग अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों और भारतीय रेलवे में निवेश संबंधी व्यय के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।

3.1. बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत अपने बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) भी जारी किए हैं जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'प्रेड' को जोड़कर अर्ध-वार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेंडर की घोषणा करती रही है। वर्ष 2022-23 में अदायगियों का ब्यौरा भाग ख के विवरण 6 विशेष प्रतिभूतियों/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड का रूपांतरण में दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रूपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे भाग ख के विवरण 2 में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा कर लिया है (भाग-ख के 2क में ब्यौरा देखें)।

3.7. अल्पावधिक उधार : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पर्द्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कैलेंडर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

4. लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां: लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधिक जमा (1, 2, 3 तथा 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के प्रैड के साथ, समरूप कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत सावधिक जमा (5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित की जाती हैं। लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्ष 2021-22 के लिए, केंद्रीय और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 7.3 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। इन प्रतिभूतियों की उन्मोचन राशि को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश किया जाता है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने एनएसएसएफ संचालित न करने के विकल्प दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश अपने संबंधित प्रांतों के भीतर जुटाए गए शुद्ध संग्रह का 100% और शेष तीन राज्य 50% ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

एनएसएसएफ के अंतर्गत संगृहीत निवल राशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एयर इण्डिया आदि में भी किया जा रहा है। लघु बचत योजनाओं के अभिदाताओं को ब्याज के भुगतान और प्रबंधन लागत में केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर निधि के ब्याज तथा निधि की आय से सरकारी एजेंसियों को ऋण अग्रिम शामिल है। एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 8 में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा भाग-ख के विवरण 3 में दिया गया है।

6.2 बचत बाण्ड्स: जुलाई, 2020 में 7 वर्ष की अवधि के लिए फ्लोटिंग रेट सेविंग बाण्ड्स (कर योग्य) को जारी किया गया था जिससे कि आवासीय नागरिक/हिन्दी अविभाजित परिवार धन संबंधी थी सीमा के बिना अपनी बचतों का निवेश कर सकते हैं। इस बाण्ड्स पर ब्याज का भुगतान 6 माही होता है जोकि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को देय होता है और हर छः माह बाद इसको फिर से रिसेट किया जाता है जो कि तत्समय प्रचलित एनएससी की दर जमा 35 बीपीएस से जुड़ा होता है। पहला रिसेट 1 जनवरी, 2021 को किया गया था। ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि ब्याज का भुगतान संचित आधार पर किया जाये। इन बाण्डों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। केवल बाण्ड के धारक की मृत्यु होने की स्थिति में इसका अन्तरण उसके नामिती या विधिक उत्तरधिकारी के नाम हो सकता है। इनकी द्वितीयक बाजार में बिक्री भी नहीं की जा सकती है। 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के मामले में तथा इसके जारी किये जाने की तारीख के न्यूनतम लाक इन की अवधि के पूरा होने पर ही इसका परिपक्वता पूर्ण नकदीकरण किया जा सकता है।

6.7.01. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष: आईएमएफ में भारत का कोटा 2.75 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ 13114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटा धारिता के अर्थ में भारत का आठवां स्थान है। 2016 के आरंभ में 146वीं सामान्य कोटा समीक्षा के अनुसार कोटा वृद्धि के लिए भारत ने 7292.9 मिलियन एसडीआर प्रदान किया। इस वर्धित धारिता का रखरखाव भारतीय रुपए में किसी मूल्यवृद्धि-मूल्यहास के लिए मूल्य में किया जाता है। सभी सदस्यों के कोटा संसाधनों के अलावा, आईएमएफ गैर रियायती सदस्य को ऋण देने के प्रयोजन से संसाधन लाइन की दूसरी और तीसरी लाइन के रूप में उधार लेने के लिए नई व्यवस्थाएं और द्विपक्षीय उधार करारों को करता है। एनएबी के प्रति भारतीय बचनबद्धता 4,440.9 मिलियन एसडीआर है, जिसमें से आज तक 34एनएबी का सक्रियान्वयन हुआ और भारत के पास शेष राशि 290.70 मिलियन एसडीआर है। बीबीए के संबंध में, भारत ने बीबीए 2016 को 10 बिलियन अमरीकी डालर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

6.7.03. एशियाई विकास बैंक और निधि: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

7. विदेशी ऋण: बजट 2022-23 में ₹80,242 करोड़ की सकल प्राप्ति और ₹40,610 करोड़ की चुकौती को माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹39,632 करोड़ का निवल विदेशी ऋण होगा।

7.01. बहुपक्षीय : ब.अ. 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी), पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, न्यू विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एफआईआईवी) के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹ 14,846 करोड़ रहने का अनुमान है।

7.01.03. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन हेतु समर्पित है। 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन वर्गों के देशों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सूची क. विकसित देश, सूची ख. तेल उत्पादक देश और सूची ग. विकासशील देश। भारत सूची ग. में है।

(ख) भारत अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि का एक संस्थापक सदस्य है और इसने आईएफएडी संसाधनों के लिए अब तक 171 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

(ग) भारत ने 11वें पुनःपूर्ति चक्र के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वचन दिया है। इसके अलावा, भारत ने रियायती भागीदार ऋण (सीपीएल) (5 वर्षों की छूट अवधि के साथ 25 वर्षों की अवधि तक 1 प्रतिशत ब्याज दर पर) के रूप में 20 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का वचन दिया है। आईएफएडी ने इसकी शुरुआत प्रथम बार की है।

(घ) भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड के सहायक निकायों अर्थात् एवेल्युएशन कमिटी एण्ड वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांजिशनल प्रेमवर्क का सदस्य भी है।

(ङ.) वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में 30 परियोजनाओं को 1100 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ सहायता प्रदान की है।

(च) मौजूदा निष्पादन आधार आबंटन प्रणाली (पीबीएस) चक्र, अर्थात् 2019-21 के लिए, भारत के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों की ओर से मांग की गई है। हाल ही में, भारत ने अवधि 2018-24 के लिए भारत हेतु राष्ट्र रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (सीओएसओपी) को भी अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान सीओएसओपी में दो पीबीएस चक्र: 2019-21 और 2022-24 शामिल होंगे।

(छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारत में लघु धारक खेती करने वाले परिवारों को सशक्त बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कृषि प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने नामक परियोजना प्रस्ताव के लिए आईएफएडी 19 नवम्बर, 2018 को 420 कराड़ (लगभग 60 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ज) 1 जनवरी, 2018 से भारत साधारण शर्तों पर ऋणों का पात्र है। साधारण शर्तों पर प्रदत्त आईएफएडी ऋणों की ब्याज दर आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अर्धवार्षिक रूप से निर्धारित परिवर्तनीय संदर्भ दर के एक सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) के समतुल्य प्रतिवर्ष होगी, और इसकी परिपक्वता अवधि 15-18 वर्ष होगी। इसमें 3 वर्ष की छूट अवधि शामिल है, जिसकी शुरुआत विनिर्दिष्ट संवितरण शर्तों को पूरा करने की तिथि से होगी।

(झ) वर्ष 2013 से 2017 तक, आईएफएडी ने भारत को 1.25 प्रतिशत जमा 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार प्रति वर्ष की नियत ब्याज दर पर नरम शर्तों पर ऋण प्रदान किया था, जिसकी परिपक्वता अवधि 25 वर्ष थी। इसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल थी। भारत ने मेघा-लैम्प और आंध्र प्रदेश सूखा उपशमन परियोजना (एपीडीएमपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, वर्ष 2013 तक हस्ताक्षरित परियोजनाओं के संबंध में आईएफएडी ऋणों को चुकाने की अवधि 10 वर्षों की छूट अवधि सहित 40 वर्ष है और इस पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं होगा। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर 1 प्रतिशत की 3/4 दर (0.75 प्रतिशत) प्रतिवर्ष दर पर सेवा प्रभार लगाया जाता है।

7.02. द्विपक्षीय: ब.अ. 2021-22 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूसी संघ और यूरॉपियन निवेश बैंक (ईआईबी) से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹24786 करोड़ रहने का अनुमान है।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	संशोधित 2021-22	बजट 2022-23
राजस्व प्राप्तियां	1014724	1101473	1195025	1374203	1435232	1552915	1684059	1633919	2078936	2204422
क. कर राजस्व										
(राज्यों का निवल हिस्सा)										
(ब्योरा अनुबंध 2 में)	815854	903615	943765	1101372	1242488	1317211	1356902	1426287	1765145	1934771
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(ब्योरा अनुबंध 2 में)	198870	197858	251260	272831	192744	235704	327157	207632	313791	269651
पूंजी प्राप्तियां	563894	484449	582579	609866	702649	763518	997301	1992149	1675877	1739735
1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)	453550	445138	404050	349657	410256	423267	473986	1146740	934771	1118612
1.01 सकल बाजार उधार	595147	629374	623300	624670	647158	599590	874822	1527366	1325500	1595000
क. सामान्य/नवीन	557000	592000	585000	582000	588000	571000	710000	1260116	1046500	1495000
ख. स्वचिंम	31472	37374	38300	41625	59158	28590	164822	157042	120000	100000
ग. जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकरण में कमी रहने कारण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बैंक टू बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ली गयी उधारी	110208	159000	...
घ. अन्य	6675	1045
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	141597	184236	219250	275013	236902	176324	400835	380626	390729	476388
क. सामान्य/नवीन	95007	138925	144375	174846	137272	148265	236032	227208	270729	376388
ख. स्वचिंम	31000	39028	37349	40510	58075	28059	164803	153418	120000	100000
ग. वापस खरीद/अन्य	15590	6283	37526	59657	41555
घ. अन्य
2. विदेशी सहायता (निवल)	7292	12933	12748	17996	7931	5519	8682	70181	19746	19251
2.01 सकल विदेशी उधार	25416	33534	36054	44191	48517	50609	63180	123938	76954	80242
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	18124	20601	23306	26195	26685	30739	33891	34715	36024	40610
2.03 निवलित व्यय	13901	14351	20607	19042	21184	20381
3. अल्पकालिक ऋण	7729	9179	50693	5550	44949	6897	150103	203205	100000	50000
4. पीओएलआईएफ(नेट) के अंतर्गत बची राशि की प्रतिभूति के एवज में जारी विशेष प्रतिभूति	-9894
4.01 प्राप्तियां	4000	7000	...
4.02 घटाइए-अदायगी	4000	7000	9894
5. ऋण की वसूली	12497	13738	20835	17630	15633	18052	18316	19729	21975	14291
6. अल्प बचतें (निवल)	12357	32226	52465	67435	102628	125000	240000	483733	591524	425449
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	9753	11920	11858	17745	15799	16059	11635	18514	20000	20000
8. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	29368	37737	42132	47723	100045	94727	50304	37897	78000	65000
9. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	31348	-78422	-12202	86130	5407	73997	44273	12151	-90140	37025
जोड़-प्राप्तियां	1578618	1585922	1777604	1984069	2137881	2316433	2681360	3626069	3754812	3944156
राजस्व लेखे पर घाटा	357048	365519	342736	316381	443602	454484	666545	1449599	1088352	990241
प्राथमिक घाटा	128604	108281	91133	54904	62112	66770	321580	1138423	777298	720545
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	-19171	77844	13170	-8895	4092	1321	4970	-7188	174187	752
राजकोषीय घाटा	502858	510725	532792	535618	591064	649418	933651	1818291	1591089	1661196
* अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर	10000	10000	20000	23000	50000	12000	...	10000	10000	10000
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	316	276	242	202	201	95	275	104	275	275
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं										
(क) पूंजी व्यय से प्रतिकेंद्रा ओमिटेड आईएमएफ जारी	367	4619	52714	2181	543	9793	1020	8936	4270	1594
(ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों को ऋण	110208	159000	...
(ग) भारत के आकस्मिकता निधि के धन को बढ़ावा देना	29500	...
(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	80000	106000	65443	20000	15000	...
(ङ) सरकार के नियंत्रण से आने वाले अन्य बैंकिंग निकायों की रिक्विपिटलाइजेशन बाण्ड का जारी किया जाना	4500	10405
(च) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	250	105	100	140	120	110	225	90	150	...

अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2014-15	वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	संशोधित 2021-22	बजट 2022-23
क. कर राजस्व										
सकल कर राजस्व	1138733	1244886	1455648	1715822	1919008	2080465	2010059	2027104	2516059	2757820
1. निगम कर	394678	428925	453228	484924	571202	663572	556876	457719	635000	720000
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	237817	258326	287628	349436	419880	472983	492593	487139	615000	700000
3. ब्याज कर	8	6	5	5	4	3	2	3		
4. आय और व्यय पर अन्य कर	9	11	4	15163	10888	16	59	5		
5. सीमा-शुल्क	172085	188016	210338	225370	129030	117813	109282	134750	189000	213000
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	169455	188128	288073	381756	258834	231045	239452	389667	394000	335000
7. सेवा कर	154778	167969	211414	254499	81228	6904	6029	1615	1000	2000
8. सम्पदा शुल्क	1	1	1	1	2	1		
9. धन कर	1007	1086	1079	184	62	40	18	11		
10. उपहार कर	1
11. माल एवं सेवा कर	442561	581559	598749	548777	675000	780000
12. अन्य कर और शुल्क	5765	9215	...	338	597	937	1162	2081		
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3130	3204	3878	4146	4721	5592	5835	5336	7059	7820
14. घटाइए—राज्यों का हिस्सा	318230	337808	506193	608000	673005	761454	650677	594997	744785	816649
15. घटाइए — एनसर्गि एफए/ एनडीआरएफ व्यय प्राप्तियों से घटाकर	4650	3461	5690	6450	3515	1800	2480	5986	6130	6400
निवल-केन्द्र का कर राजस्व	815853	903617	943765	1101372	1242488	1317211	1356903	1426121	1765144	1934771
1. राजकोषीय सेवाएं	884	1394	630	765	460	744	1041	1169	1184	1296
2. ब्याज प्राप्तियां	21868	23804	25379	16229	13574	12145	12349			
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	8985	8367	7859	7608	7358	7403	7696	6317	3365	2687
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	7983	9148	10145	*
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य ब्याज प्राप्तियां	4900	6289	7375	8621	6216	4742	4653	10797	17529	15313
3. लाभांश और लाभ	90435	89833	112127	123017	91361	113421	186133	96878	147353	113948
4. अन्य सामान्य सेवाएं	11670	13472	14373	16091	17565	19542	20308	14072	16084	19896
5. सामाजिक सेवाएं	1264	1675	4331	11928	2944	2998	3404	3791	3375	2945
6. आर्थिक सेवाएं	67657	64718	91001	101697	61369	83902	101787	71260	121025	110139
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1474	1362	1538	1804	1890	1890	1762	1598	2531	2807
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	3618	1600	1881	1300	3582	1063	373	1752	1345	620
जोड़-कर-भिन्न राजस्व**	198870	197857	251260	272831	192744	235704	327157	207634	313791	269651
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	1014722	1101475	1195025	1374203	1435232	1552915	1684059	1633755	2078935	2204422
** वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों को घटाकर /										
(क) सामान्य सेवाएं	11695	13502	21140	24561	24500	27781	19112	17069	21350	21500
(ख) आर्थिक सेवाएं	158737	177693	187477	184221	195506	208886	191397	156864	222181	262107
जोड़	170432	191195	208617	208782	220006	236667	210509	173933	243531	283607

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के बीच अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-2023
क. राजस्व प्राप्तियां				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्तियां	1864513.47	2105708.04	2353562.11	2517456.48
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	-140783.55	-217460.00	-202000.00	-240000.00
डाक की राजस्व प्राप्तियां	-10632.31	-17710.05	-13398.34	-14725.87
रक्षा की राजस्व प्राप्तियां	-9725.13	-8679.18	-6981.64	-6669.81
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्तियां	-22517.57	-28834.91	-28132.26	-28881.42
जूलोजिकल पार्क में प्रवेश शुल्क से प्राप्तियां	...	-5.00	-5.00	-5.00
ब्याज भुगतान	-41115.35	-37494.47	-15895.70	-15352.65
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, (एनबीटी) दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-5820.00	-6100.00	-6130.00	-6400.00
बंगाल रसायन एवं भेषज लिमिटेड के बकाया ऋण के ब्याज को माफ करना/बट्टे खाते में डालना	-193.71	...
इंडियन ड्रग एवं भेषज लि. के बकाया ऋण को बट्टे खाते में डालना	-889.50	...
निवल राजस्व प्राप्तियां	1633919.56	1788424.43	2078935.96	2204421.73
ख. पूंजी प्राप्तियां				
भारत की संवित निधि की कुल प्राप्तियां (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थापय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	3342462.12	3339181.08	3096743.76	3408206.98
कुल लोक लेखा प्राप्तियां	2848879.02	2386318.29	2458672.15	2623612.85
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थापय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	61378.11	27566.31	107302.69	-22019.18
भारत के आकस्मिकता निधि	...	29500.00	29500.00	...
जोड़	6252719.25	5782565.68	5692218.60	6009800.65
घटाइए :				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थापय अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	-1357745.48	-1683745.72	-1384482.25	-1662384.41
कुल लोक लेखा संवितरण	-2844652.95	-2329806.47	-2551280.69	-2575331.89
निवल	2050320.82	1769013.49	1756455.66	1772084.35
एशियाई विकास निधि-12/13 को अंशदान	-75.60	-89.15	-89.20	-89.20
प्रतिभूतियां जारी के माध्यम से एएफडीएफ का अंशदान	-69.88	-34.99	-35.07	...
प्रतिभूतियां जारी करके एशियाई विकास निधि को अंशदान	...	-0.01
प्रतिभूतियां जारी करके एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान	-3.54	-4.18	-4.18	-4.32
आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता के लिए बांड जारी करना	...	-0.01
पूंजी निक्षेप के लिए पीएसबी को विशेष प्रतिभूति जारी करना	-20000.00	-20000.00	-15000.00	-0.01
उधार लेने की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के तहत प्राप्तियां	...	-1000.00	-100.00	-0.01
आकस्मिक निधि के लिए भारत की समेकित निधि से प्राप्ति	...	-29500.00	-29500.00	...
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की प्राप्ति	-19042.13	-43581.77	-21183.92	-20380.58
जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों के दिए गए ऋण से प्राप्तियां	-110208.00	-0.01	-159000.00	-0.01
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	-104.48	-275.00	-275.00	-275.00
भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि के लिए जारी प्रतिभूति का मोचन	-90.00	-0.01	-150.00	-0.01
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-500.00	-0.01	-500.00	-500.00
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संख्याओं को जारी प्रतिभूतियां	-7122.33	-1000.01	-3641.67	-1000.01
भारत के खाद्य निगम को अर्थापय अग्रिम	-10000.00	-50000.00	-10000.00	-10000.00
राज्य सरकारों को अर्थापय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल पूंजी प्राप्तियां	1883104.86	1623428.35	1516876.62	1739735.20
कुल प्राप्तियां	3517024.42	3411852.77	3595812.58	3944156.93
कुल व्यय	3509836.38	3483235.63	3769999.73	3944908.67
नकद शेष में (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि (+)/कमी (-)	7188.04	-71382.86	-174187.15	-751.74

बजट अनुमान 2022-23 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

अनुबन्ध-4

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (4 से 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	10319.40	9966.37	-0.37	10851.95	1432.93	446.34	33.18	33049.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	4480.16	4326.89	-0.16	4711.36	622.10	193.78	14.41	14348.54
3.	असम	3.128	7976.05	7703.19	-0.28	8387.67	1107.53	344.99	25.65	25544.80
4.	बिहार	10.058	25646.79	24769.39	-0.91	26970.32	3561.25	1109.30	82.47	82138.61
5.	छत्तीसगढ़	3.407	8687.47	8390.27	-0.31	9135.80	1206.32	375.76	27.94	27823.25
6.	गोवा	0.386	984.26	950.58	-0.04	1035.05	136.67	42.57	3.16	3152.25
7.	गुजरात	3.478	8868.51	8565.11	-0.32	9326.19	1231.46	383.59	28.52	28403.06
9.	हरियाणा	1.093	2787.03	2691.68	-0.10	2930.86	387.00	120.55	8.96	8925.98
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	2116.41	2044.00	-0.08	2225.63	293.88	91.54	6.81	6778.19
10.	झारखंड	3.307	8432.48	8144.00	-0.30	8867.65	1170.91	364.73	27.12	27006.59
11.	कर्नाटक	3.647	9299.45	8981.30	-0.33	9779.36	1291.30	402.23	29.90	29783.21
12.	केरल	1.925	4908.54	4740.61	-0.18	5161.85	681.59	212.31	15.78	15720.50
13.	मध्य प्रदेश	7.850	20016.63	19331.84	-0.71	21049.62	2779.46	865.78	64.37	64106.99
14.	महाराष्ट्र	6.317	16107.65	15556.59	-0.57	16938.91	2236.67	696.70	51.80	51587.75
15.	मणिपुर	0.716	1825.72	1763.26	-0.07	1919.94	253.51	78.97	5.87	5847.20
16.	मेघालय	0.767	1955.76	1888.86	-0.07	2056.70	271.57	84.59	6.29	6263.70
17.	मिजोरम	0.500	1274.94	1231.33	-0.05	1340.74	177.04	55.14	4.10	4083.24
18.	नागालैण्ड	0.569	1450.89	1401.25	-0.05	1525.76	201.47	62.76	4.67	4646.75
19.	ओडिशा	4.528	11545.90	11150.90	-0.41	12141.74	1603.23	499.39	37.13	36977.88
20.	पंजाब	1.807	4607.65	4450.02	-0.16	4845.43	639.81	199.29	14.82	14756.86
21.	राजस्थान	6.026	15365.63	14839.96	-0.55	16158.60	2133.63	664.61	49.41	49211.29
22.	सिक्किम	0.388	989.36	955.51	-0.04	1040.41	137.38	42.79	3.18	3168.59
23.	तमिलनाडु	4.079	10401.00	10045.17	-0.37	10937.76	1444.26	449.87	33.45	33311.14
24.	तेलंगाना	2.102	5359.87	5176.50	-0.19	5636.47	744.26	231.83	17.24	17165.98
25.	त्रिपुरा	0.708	1805.32	1743.56	-0.06	1898.49	250.68	78.09	5.80	5781.88
26.	उत्तर प्रदेश	17.939	45742.47	44177.57	-1.63	48103.07	6351.68	1978.49	147.11	146498.76
27.	उत्तराखंड	1.118	2850.78	2753.25	-0.10	2997.89	395.85	123.30	9.17	9130.14
28.	पश्चिम बंगाल	7.523	19182.82	18526.55	-0.68	20172.77	2663.68	829.71	61.69	61436.54
	जोड़	100.00	254988.94	246265.51	-9.09	268147.99	35407.12	11029.00	820.00	816649.47

* पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 41% निश्चित किया गया है।
 @ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	जोड़ (4 से 10)	2020-21 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2021-22 में समायोजनीय	2019-20 का समायोजन (सी एण्ड एजी प्रमाणित संख्याएं एवं अनंतिम वास्तविक)	कुल जोड़ (11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	9100.30	8755.40	-0.34	9733.58	1489.25	433.48	16.59	29528.26	857.21	-29.16	30356.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	3950.89	3801.15	-0.15	4110.90	646.56	188.20	7.20	12704.75	367.03	-9.28	13062.50
3.	असम	3.128	7033.79	6767.21	-0.26	7336.28	1151.07	335.05	12.83	22635.97	652.96	-22.43	23266.50
4.	बिहार	10.058	22616.97	21759.79	-0.85	23560.88	3701.24	1077.34	41.24	72756.61	2097.91	-65.46	74789.06
5.	छत्तीसगढ़	3.407	7661.17	7370.81	-0.29	7975.22	1253.74	364.93	13.97	24639.55	712.74	-20.86	25331.43
6.	गोवा	0.386	867.98	835.09	-0.03	904.41	142.04	41.35	1.58	2792.42	80.53	-2.56	2870.39
7.	गुजरात	3.478	7820.82	7524.41	-0.29	8139.66	1279.87	372.54	14.26	25151.27	708.56	-20.89	25838.94
8.	हरियाणा	1.093	2457.78	2364.63	-0.09	2561.34	402.21	117.07	4.48	7907.42	225.64	-7.34	8125.72
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	1866.38	1795.65	-0.07	1941.80	305.43	88.90	3.40	6001.49	166.60	-4.83	6163.26
10.	जम्मू और कश्मीर ^	0.000	0.00	0.00	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00	54.28	0.00	-12.56	41.72
11.	झारखंड	3.307	7436.30	7154.47	-0.28	7745.52	1216.94	354.22	13.56	23920.73	690.85	-21.26	24590.32
12.	कर्नाटक	3.647	8200.84	7890.03	-0.31	8578.49	1342.06	390.64	14.95	26416.70	760.28	-31.92	27145.06
13.	केरल	1.925	4328.66	4164.60	-0.16	4528.35	708.38	206.19	7.89	13943.91	405.14	-16.93	14332.12
14.	मध्य प्रदेश	7.850	17651.94	16982.93	-0.66	18388.78	2888.72	840.83	32.19	56784.73	1644.42	-51.13	58378.02
15.	महाराष्ट्र	6.317	14204.75	13666.39	-0.53	14781.50	2324.59	676.63	25.90	45679.23	1279.31	-37.40	46921.14
16.	मणिपुर	0.716	1610.04	1549.02	-0.06	1681.20	263.48	76.69	2.94	5183.31	149.72	-4.18	5328.85
17.	मेघालय	0.767	1724.72	1659.35	-0.07	1793.92	282.25	82.15	3.15	5545.47	159.67	-4.35	5700.79
18.	मिजोरम	0.500	1124.33	1081.72	-0.04	1173.94	183.99	53.56	2.05	3619.55	105.52	-3.12	3721.95
19.	नागालैण्ड	0.569	1279.48	1230.99	-0.05	1335.90	209.39	60.95	2.33	4118.99	119.43	-3.37	4235.05
20.	ओडिशा	4.528	10181.91	9796.01	-0.38	10615.37	1666.26	485.01	18.57	32762.75	965.36	-31.44	33696.67
21.	पंजाब	1.807	4063.32	3909.32	-0.15	4228.23	664.96	193.55	7.41	13066.64	372.84	-10.68	13428.80
22.	राजस्थान	6.026	13550.39	13036.83	-0.51	14107.26	2217.50	645.46	24.71	43581.64	1246.84	-37.22	44791.26
23.	सिक्किम	0.388	872.48	839.41	-0.03	912.99	142.78	41.56	1.59	2810.78	80.93	-2.49	2889.22
24.	तमिलनाडु	4.079	9172.26	8824.63	-0.34	9558.09	1501.03	436.91	16.72	29509.30	873.58	-27.25	30355.63
25.	तेलंगाना	2.102	4726.67	4547.53	-0.18	5216.32	773.51	225.15	8.62	15497.62	444.73	-16.51	15925.84
26.	त्रिपुरा	0.708	1592.05	1531.71	-0.06	1657.37	260.54	75.84	2.90	5120.35	147.78	-4.35	5263.78
27.	उत्तर प्रदेश	17.939	40338.61	38809.78	-1.51	42623.93	6601.36	1921.49	73.55	130367.21	3738.69	-121.64	133984.26
28.	उत्तराखंड	1.118	2514.00	2418.72	-0.09	2618.26	411.41	119.75	4.58	8086.63	230.23	-7.12	8309.74
29.	पश्चिम बंगाल	7.523	16916.63	16275.49	-0.63	17625.42	2768.38	805.81	30.84	54421.94	1567.96	-49.61	55940.29
	जोड़	100.00	224865.46	216343.07	-8.41	235489.19	36798.94	10711.25	410.00	724609.50	20852.46	-677.34	744784.62

* पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 41% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

सीजीएसटी घटक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित अविभाजित आईजीएसटी (4,052.65 करोड़) शामिल हैं।

^ जम्मू कश्मीर (अब विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र) के पूर्व राज्य के निवल हिस्से के रूप में 41.72 करोड़ केन्द्रीय सहायता के माध्यम से अंतरित किया जाएगा।

वास्तविक 2020-21 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	व्यय कर (0028)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (4 + 12)	सं.अ. 2020-21 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी	2020-21 का अंतर (वास्तविक सं.अ) सं.अ. 2021-22 में समायोजनीय (13-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.111	7161.84	7706.26	-0.07	7605.72	1795.68	986.02	35.08	0.08	26.61	25317.22	24460.01	857.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.760	3066.12	3299.20	-0.03	3256.16	768.77	422.13	15.02	0.03	11.39	10838.79	10471.76	367.03
3.	असम	3.131	5454.56	5869.20	-0.06	5792.63	1367.62	750.97	26.72	0.06	20.27	19281.97	18629.01	652.96
4.	बिहार	10.061	17527.43	18859.80	-0.18	18613.76	4394.64	2413.11	85.86	0.19	65.13	61959.74	59861.83	2097.91
5.	छत्तीसगढ़	3.418	5954.55	6407.20	-0.06	6323.61	1492.98	819.80	29.17	0.07	22.13	21049.45	20336.71	712.74
6.	गोवा	0.386	672.46	723.57	-0.01	714.13	168.60	92.58	3.29	0.01	2.50	2377.13	2296.60	80.53
7.	गुजरात	3.398	5919.71	6369.71	-0.06	6286.61	1484.25	815.00	29.00	0.07	22.00	20926.29	20217.73	708.56
8.	हरियाणा	1.082	1884.97	2028.26	-0.02	2001.80	472.62	259.52	9.23	0.02	7.00	6663.40	6437.76	225.64
9.	हिमाचल प्रदेश	0.799	1391.95	1497.76	-0.01	1478.22	349.00	191.64	6.82	0.02	5.17	4920.57	4753.97	166.60
10.	झारखंड	3.313	5771.63	6210.37	-0.06	6129.35	1447.12	794.62	28.27	0.06	21.45	20402.81	19711.96	690.85
11.	कर्नाटक	3.646	6351.75	6834.59	-0.07	6745.43	1592.57	874.49	31.12	0.07	23.60	22453.55	21693.27	760.28
12.	केरल	1.943	3384.93	3642.24	-0.03	3594.72	848.70	466.03	16.58	0.04	12.58	11965.79	11560.65	405.14
13.	मध्य प्रदेश	7.886	13738.32	14782.66	-0.14	14589.81	3444.60	1891.44	67.30	0.15	51.05	48565.19	46920.77	1644.42
14.	महाराष्ट्र	6.135	10687.88	11500.34	-0.11	11350.30	2679.77	1471.47	52.36	0.12	39.72	37781.85	36502.54	1279.31
15.	मणिपुर	0.718	1250.84	1345.92	-0.01	1328.36	313.62	172.21	6.13	0.01	4.65	4421.73	4272.01	149.72
16.	मेघालय	0.765	1332.72	1434.03	-0.01	1415.32	334.15	183.48	6.53	0.02	4.95	4711.19	4551.52	159.67
17.	मिजोरम	0.506	881.51	948.52	-0.01	936.15	221.02	121.36	4.32	0.01	3.28	3116.16	3010.64	105.52
18.	नागालैण्ड	0.573	998.23	1074.11	-0.01	1060.10	250.29	137.43	4.89	0.01	3.71	3528.76	3409.33	119.43
19.	ओडिशा	4.629	8064.25	8677.27	-0.08	8564.07	2021.95	1110.26	39.50	0.09	29.97	28507.28	27541.92	965.36
20.	पंजाब	1.788	3114.90	3351.69	-0.03	3307.96	781.00	428.85	15.26	0.03	11.58	11011.24	10638.40	372.84
21.	राजस्थान	5.979	10416.11	11207.91	-0.11	11061.69	2611.62	1434.05	51.03	0.11	38.71	36821.12	35574.28	1246.84
22.	सिक्किम	0.388	675.94	727.32	-0.01	717.83	169.48	93.06	3.31	0.01	2.51	2389.45	2308.52	80.93
23.	तमिलनाडु	4.189	7297.72	7852.47	-0.07	7750.03	1829.75	1004.72	35.75	0.08	27.12	25797.57	24923.99	873.58
24.	तेलंगाना	2.133	3715.93	3998.41	-0.04	3946.24	931.69	511.60	18.20	0.04	13.81	13135.88	12691.15	444.73
25.	त्रिपुरा	0.709	1235.16	1329.05	-0.01	1311.71	309.69	170.05	6.05	0.01	4.59	4366.30	4218.52	147.78
26.	उत्तर प्रदेश	17.931	31237.87	33612.47	-0.32	33173.97	7832.25	4300.72	153.02	0.34	116.08	110426.40	106687.71	3738.69
27.	उत्तराखंड	1.104	1923.30	2069.50	-0.02	2042.50	482.23	264.79	9.42	0.02	7.15	6798.89	6568.66	230.23
28.	पश्चिम बंगाल	7.519	13098.97	14094.71	-0.13	13910.83	3284.30	1803.42	64.17	0.14	48.68	46305.09	44737.13	1567.96
	जोड़	100.00	174211.55	187454.54	-1.77	185009.01	43679.96	23984.82	853.40	1.91	647.39	615840.81	594988.35	20852.46

* चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।
 @ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)
(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2020-2021, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	
	आय एवं व्यय											
	पर कर	6,58,110	3,40,349	32,765	26,415	10,57,639	2,35,632	1,31,051	9,659	7,274	3,83,616	14,41,255
0020	निगम कर	2,93,901	2,24,433	20,133	4,098	5,42,565	1,14,920	99,335	3,452	5,102	2,22,809	7,65,375
0021	निगम कर को छोड़कर											
	आय पर कर	3,64,209	1,15,916	12,632	22,317	5,15,074	1,20,711	31,716	6,207	2,172	1,60,806	6,75,880
	वस्तुओं एवं सेवाओं											
	पर कर	38,608	64,204	47,154	6,203	1,56,169	4,020	5,768	7,195	4,984	21,967	1,78,136
0005	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	54	1	-	-	55	16	1	-	-	17	72
0008	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	14	3	-	-	17	4	-	-	-	4	21
0037	सीमा शुल्क	3,179	5,008	7,599	1,539	17,325	1,155	1,827	918	1,183	5,083	22,408
0038	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	8,548	19,270	16,729	3,570	48,117	910	1,197	2,865	3,453	8,425	56,542
0044	सेवा कर	26,813	39,922	22,826	1,094	90,655	1,935	2,743	3,412	348	8,438	99,093
	जोड़	6,96,718	4,04,553	79,919	32,618	12,13,808	2,39,652	1,36,819	16,854	12,258	4,05,583	16,19,391

टिप्पणी: लगाए गए कर राजस्व को नकदी में उगाहें न जाने और इसे विचारश्रेणी के अंतर्गत नहीं लाए जाने के कारण हैं - वसूली के लिए कोई आस्ति नहीं होना या अपर्याप्त आस्ति होना, कर दाता का पता न लग पाना आदि।

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि
(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2020-21 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]	2877.18	3019.34	2326.69	2163.31	27940.13	38326.65
ब्याज प्राप्तियां जिसमें (क+ख+ग+घ)	2877.18	3019.34	2326.69	2163.31	27862.61	38249.13
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	3.15	2.57	3.24	0.01	1743.46	1752.43
(ख) रेलवे से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	4.79
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	2874.03	3016.77	2323.45	2163.30	26114.36	36491.91
(ii) लाभांश एवं लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	77.52	77.52
2 सामान्य सेवाएं	9787.82	8390.33	9891.50	13480.06	23715.50	65265.21
पुलिस प्राप्तियां	9787.82	8390.33	9891.50	13480.06	23715.50	65265.21
3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]	24.28	11.99	6.75	4.70	11.02	58.74
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) संचार	24.28	11.99	6.75	4.70	11.02	58.74
4 अन्य प्राप्तियां	35011.50	8185.62	11503.88	22878.26	161344.78	238924.04
जोड़ [1+2+3+4]	47700.78	19607.28	23728.82	38526.33	213011.43	342574.64

केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण: वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21

किसी कर कराधान कानून और उसके संचालन का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाना है। सृजित राजस्व की मात्रा का निर्धारण करने वाली मुख्य परिवर्तनशील वस्तुएं सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरें होती हैं। इन दो कारकों को निर्धारित करने वाले उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयताएं' कहा जाता है। ये सरकारी आमदनी पर असर डालते हैं और सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति के बारे में भी बताते हैं।

कर प्रोत्साहन कर वरीयताएं बनाते हैं जिनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव पड़ता है। इसे पसंदीदा करदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है और इसे 'कर व्यय' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कर नीति न केवल कुशल होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त रूप से पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसके लिए कर प्रोत्साहनों का सुव्यक्त निरूपण और विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभिप्रेत आवश्यकता कार्यक्रम की प्लानिंग अपेक्षित होती है। इसके अलावा, पारदर्शी बजट प्रस्तुति के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के तहत राजस्व प्रभावों को शामिल किया जाना अपेक्षित होता है। इस तरह के राजस्व प्रभाव पैदा करने वाले ये कर प्रोत्साहन, कर संविधि के व्यय कार्यक्रमों का अंतर्निहित हिस्सा होते हैं।

वर्तमान विवरण केंद्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों की राजस्व विवक्षाओं का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों की ऐसी के राजस्व विवक्षाएं पहली बार बजट 2006-07 के दौरान पूर्वनिश्चित राजस्व के विवरण के रूप में प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में संसद के समक्ष रखी गई थी। इसका सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर रचनात्मक बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने की सरकार की मंशा को भी बल दिया। इस विवरण का दूसरा संस्करण बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के जरिए और साथ ही, एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में रखा गया जिसका शीर्षक था "पूर्वनिश्चित राजस्व का विवरण" था। उसके बाद, इसे 2008-09 से 2014-15 तक के बजट के दौरान हर साल संसद के समक्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से निरूपित किया गया है, क्योंकि इसमें वास्तव में राजस्व प्रभाव का विश्लेषण शामिल है। बजट 2015-16 और 2016-17 में, इसे अनुलग्नक-15 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में इसे अनुलग्नक-13 के रूप में था। बजट 2018-19, 2019-20 और 2020-21 और 2021-22 में, यह अनुलग्नक -7 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा था।

पहले की तरह, इस विवरण में कर प्रोत्साहन या कर सब्सिडी के राजस्व प्रभाव को बताने का प्रयास किया गया है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक हिस्सा हैं। अधिकतर "कर वरीयताएं" के संबंध में ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है। ये आकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए हैं, जो सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। यह निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दाखिल किए गए रिटर्न पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व प्रभाव को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है।

कर व्यय का आकलन निम्नलिखित पूर्वधारणाओं के आधार पर किया गया है: -

- (क) प्राक्कलनों और प्रोजेक्शनों का अभिप्राय छूट, कटौती, भारित कटौती और इसी तरह के उपायों को हटाए जाने की दशा में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये प्राक्कलन अल्पकालिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित होते हैं। उन्हें यह मानकर तैयार किया जाता है कि ऐसे उपायों को हटाने से अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक एजेंटों का व्यवहार, समग्र आर्थिक गतिविधि या अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर वरीयता को हटाए जाने के साथ बदल सकती हैं, इसलिए राजस्व विवक्षार उस सीमा तक भिन्न हो सकती हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन के प्रभाव का अलग से, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर प्रावधान अपरिवर्तित बने हुए हैं, निर्धारण किया जाता है। हालांकि, कई कर रियायतें एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया क्रिया करती हैं। इसलिए, कर प्रोत्साहनों का अंतःक्रियात्मक प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए प्राक्कलनों और प्रोजेक्शनों को जोड़कर परिकलित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि, राजस्व प्रभाव का कर व्यय की दृष्टि से मात्रा-निर्धारण किया गया है, फिर भी, इससे यह परिणाम नहीं निकलता है कि सरकार द्वारा राजस्व की इस मात्रा का अधित्याग किया गया है। बल्कि, इन्हें कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, इस तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित की गई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां वास्तव में शुरू नहीं की गई हो सकती हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में काफी कम पैमाने पर शुरू की गई हो सकती हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों पर हुए कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पूर्वधारणाओं और कार्यपद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर दर्शाई गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; बुनियादी सुविधाओं के निर्माण रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करता है। लोगों द्वारा बचत किए जाने और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करता है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में त्वरित मूल्यहास भी प्रदान किया जाता है। इनमें से अधिकांश कर लाभ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यह विवरण कॉर्पोरेट क्षेत्र, गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र (फर्म, व्यक्तियों का संगम, व्यक्तियों का निकाय आदि); और व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में अलग से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। जिन शीर्षों के तहत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों और फर्मों आदि के लिए समान हैं। हालांकि, व्यक्तियों के मामले में, कुछ अन्य शीर्षों को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये केवल उनके प्रति विशिष्ट हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए विवरण विभिन्न लाभ स्लैब में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रगत विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा, धर्मार्थ गतिविधियों में लगी संस्थाओं का विवरण भी शीर्षक "धर्मार्थ संस्थाओं" के तहत अलग से दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2020-21 की तरह ही एक असाधारण वर्ष रहा है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 महामारी के प्रभाव में रही हैं। आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर विचार करने और करदाताओं के अनुपालन बोज़ को कम करने की दृष्टि से, निर्धारण वर्ष (एवाई) 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नियत तिथि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 था, को शुरू में 2021 के परिपत्र संख्या 9 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक, दिनांक 20 मई, 2021, और फिर गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के साथ-साथ करदाताओं के मामले में 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। जिनके लिए अपनी लेखा-बहियों का ऑडिट कराना अपेक्षित नहीं है और यह तिथि कॉर्पोरेट करदाताओं के साथ-साथ ऐसे करदाताओं के मामले में 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई थी जिनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत अपनी लेखा-बहियों का ऑडिट करवाना अपेक्षित है। चूंकि करदाताओं की एक बड़ी संख्या के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव, जो लेखापरीक्षा योग्य मामलों और निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दायर कॉर्पोरेट संस्थाओं के रिटर्न पर काफी हद तक आधारित है, इस समय समय बिन्दु पर अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, 31.05.2021 तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शामिल रिटर्न पर आधारित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव, [आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) और (5) के अंतर्गत दाखिल किए गए रिटर्न सहित] इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है। इसी तर्ज पर, 2021-22 के लिए प्राप्ति बजट में विवरण, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दाखिल रिटर्न पर आधारित था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्राक्कलन के रूप में औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को हिसाब में लेकर लगाया गया है।

क. कॉर्पोरेट क्षेत्र

बड़े व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होते हैं। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 [अर्थात् आकलन वर्ष 2020-21] के लिए 31 मई, 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 917,494 कॉर्पोरेट रिटर्न प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह अपनी आय का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करें। इन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी आय के लिए 4,01,778.77 करोड़ रुपये [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित] की कॉर्पोरेट कर देयता की सूचना दी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान देय लाभांश वितरण कर¹ के रूप में 51,243.03 करोड़ रुपये की भी सूचना दी। उन्होंने शेयरों के बॉय-बैक पर टैक्स के रूप में 1,191.94 करोड़ रुपये की भी सूचना दी।

कर व्यय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, इन 917,494 कंपनियों से संबंधित डेटा को विश्लेषण के लिए डेटाबेस से लिया गया था और इस विवरण के तालिका 1 से 5 और परिशिष्ट में वर्णित है। **तालिका 1** इन कंपनियों को लाभ श्रेणियों में दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:-

- 4,34,051 कंपनियों (47.31 प्रतिशत) ने 17,82,881 करोड़ रुपये कर-पूर्व लाभ और कुल आय² (कर योग्य आय) के रूप में 13,40,392.03 करोड़ रुपये की सूचना दी है।
- 4,46,358 कंपनियों (48.65 प्रतिशत) ने 11,73,485.60 करोड़ रु. की हानि की सूचना दी है।
- 37,085 कंपनियों (4.04 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की सूचना दी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार की प्रभावी कर दर³ 22.54 प्रतिशत थी [जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में रिपोर्ट की गई दर 27.81 प्रतिशत] थी, वही एक करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत,

¹ वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से, लाभांश वितरण कर बंद कर दिया गया है और 01 अप्रैल, 2020 से, लाभांश शेयरधारकों पर कर लगाया जा रहा है।

² आयकर विवरणियों में "कुल आय" शब्द कर योग्य आय जैसा कि सामान्य संदर्भ में इंगित होगा।

³ कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व (पीबीटी) कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को छोड़ते हुए) लाभों का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

10 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 115बीए के तहत नई रियायती कर व्यवस्था (कटौती और छूट के बिना न्यूनतर कर दर) का विकल्प चुना, वैधानिक कर की दर 25.17 प्रतिशत थी। 500 करोड़ रु और उससे अधिक के कर-पूर्व लाभ वाली कंपनियां (इसके बाद पीबीटी), का कुल पीबीटी में हिस्सा 58.46 प्रतिशत और कुल कॉर्पोरेट आयकर देयता का कुल 52.37 प्रतिशत था। लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार के लिए 22.54 प्रतिशत की प्रभावी दर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 27.81 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से कम है। प्रभावी कर दर में महत्वपूर्ण कमी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि उच्च लाभ वाली कंपनियों की एक बड़ी संख्या ने धारा 115बीए के तहत मौजूदा कंपनियों के लिए प्रदान की गई नई कर व्यवस्था को चुन लिया है।

500 करोड़ रुपये से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों की प्रभावी कर दर 20.19 प्रतिशत है, जो उन सभी कंपनियों की तुलना में कम है, जिनका कर-पूर्व लाभ 500 करोड़ रुपये से कम है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बड़ी कंपनियां उच्च कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं या 22 प्रतिशत के साथ उपकर और अधिभार की न्यूनतर कर दर की नई व्यवस्था में को चुन लिया है। छोटी कंपनियों में कुल आय और पीबीटी के उच्च अनुपात से इसकी पुष्टि होती है। 0-1 करोड़ रुपये की रेंज में पीबीटी देने वाली कंपनियों के मामले में यह अनुपात 94.02 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रुपये से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में यह 69.05 प्रतिशत है। कम अनुपात इंगित करता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं।

**तालिका 1: कर-पूर्व लाभ की श्रेणी में कंपनियों की प्रोफाइल
(वित्तीय वर्ष 2019-20) (कंपनियों की संख्या - 9,17,494)**

क्र.सं.	कर-पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कॉर्पोरेट आय-कर देयता में हिस्सा (% में)	कुल आय का कर-पूर्व लाभ से अनुपात (में %)	कर का कुल आय से अनुपात (में %)	प्रभावी कर दर (% में) (कर के प्रति लाभ का अनुपात)
1	शून्य से कम	4,46,358	0.00	1.51	1.57	0.00	27.79	0.00
2	शून्य	37,085	0.00	9.59	3.87	0.00	10.75	0.00
3	0-1 करोड़ रुपये	3,81,032	2.62	2.91	2.91	94.02	26.71	25.11
4	1-10 करोड़ रुपये	41,872	7.14	7.48	7.55	88.56	26.91	23.83
5	10-50 करोड़ रुपये	7,913	9.52	9.55	9.84	84.77	27.47	23.28
6	50-100 करोड़ रुपये	1,391	5.52	5.21	5.38	79.79	27.55	21.98
7	100-500 करोड़ रुपये	1,410	16.74	16.03	16.50	80.98	27.43	22.21
8	500 करोड़ रुपये से अधिक	433	58.46	47.73	52.37	69.05	29.23	20.19
सभी कंपनियां		9,17,494	100	100	100	84.57	26.65	22.54

तालिका 2 प्रभावी कर दरों के बीच कंपनियों का प्रतिदर्श बताती है। यह ध्यान दिया जाए है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 5,77,093 कंपनियों ने कर-पूर्व कुल लाभ का 36.95 प्रतिशत, कुल कर-योग्य आय का 14.84 प्रतिशत और कुल करों का 19.2 प्रतिशत हिस्सा लिया। दूसरे शब्दों में, बड़ी संख्या में कंपनियों (5, 77,093 यानी 62.90 प्रतिशत) ने अपने मुनाफे के प्रति में करों के रूप में अनुपातहीन रूप से कम राशि का योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि 48,858 कंपनियों ने कुल लाभ का 6.90 प्रतिशत और कुल करों का 15.62 प्रतिशत हिस्सा लिया, जिनकी प्रभावी कर दर 34.58 प्रतिशत की औसत वैधानिक दर के करीब थी। इससे पता चलता है कि कंपनियों में कर देयता असमान रूप से वितरित हुई है। यह मुख्य रूप से कानून में विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

तालिका 2: प्रभावी कर दरों की श्रेणी में कंपनियों का प्रोफाइल*
(वित्तीय वर्ष 2019-20) [कंपनियों की संख्या - 9,17,494]

क्र. सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कंपनियों की सं.	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (%में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कर देयता में हिस्सा (% में)
1	शून्य और शून्य से कम	4,78,779	7.92	1.67	1.64
2	0-20	98,314	29.03	13.17	17.56
3	20-25	46,109	22.63	25.15	23.89
4	25-30	1,82,772	28.38	38.15	34.93
5	30-33	25,577	5.13	6.74	6.37
6	>33	48,858	6.90	15.12	15.62
7	अनिर्धारित (पीबीटी = 0)	37,085	0.00	0.00	0.00
कुल		9,17,494	100	100	100

*प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

तालिका 3 निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक कंपनियों (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) की प्रभावी कर दर की तुलना करती है। जबकि प्रभावी दर दोनों श्रेणियों के लिए वैधानिक दर से कम है, निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में भुगतान करती हैं।

तालिका 3: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2019-20) [कंपनियों की संख्या - 9,17,494]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात तक]
1	सार्वजनिक #	206	15.94	12.97	18.33
2	निजी	9,17,288	84.06	87.03	23.33
सभी कंपनियां		9,17,494	100	100	22.54

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

निर्धारित कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रूप में) द्वारा अपने संबंधित रिटर्न में दी गई जानकारी के आधार पर।

तालिका 4 कंपनियों के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना दर्शाती है। गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में 22.83 प्रतिशत की उच्च प्रभावी कर दर है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में यह 21.95 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रों में एक प्रभावी कर दर है जो औसत वैधानिक दर 34.58 प्रतिशत से काफी कम है।

तालिका 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2019-20) [कंपनियों की संख्या- 9,17,494]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में) [कर के प्रति लाभ का अनुपात]
1	सार्वजनिक #	206	15.94	12.97	18.33
2	निजी	9,17,288	84.06	87.03	23.33
सभी कंपनियां		9,17,494	100	100	22.54

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

तालिका 5 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय का विवरण देती है। विश्लेषण 31 मई, 2021 तक दायर कॉर्पोरेट रिटर्न पर आधारित है, जिसमें निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दायर सभी रिटर्न शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना प्रत्येक कटौती की राशि पर भारित औसत वैधानिक कॉर्पोरेट कर दर 34.59 प्रतिशत⁴ लागू करके की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यहास, कटौती/भारित कटौती के राजस्व प्रभाव की गणना पहले कंपनियों द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। तत्पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.59 प्रतिशत की भारित औसत कॉर्पोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक अन्य पहलू कर आस्थगन है। टैक्स डिफरल तब होता है जब करदाता, कर कानून के तहत उच्च कटौती की अनुमति के कारण कम समय अवधि में कटौती के रूप में एक भत्ते (जैसे मूल्यहास भत्ता) का दावा करके अपनी कर देयता को स्थगित करने में सक्षम होता है, जबकि वह एक ही मूल्यहास दावा फैला सकता है कई वर्षों में अपने खातों में। चूंकि मूल्यहास में नकद व्यय नहीं होता है, यह एक कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर कानून के तहत कंपनियों पर एमएटी (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, बुक प्रॉफिट पर उप कर और सरचार्ज सहित 18.5 प्रतिशत की दर से) कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए। इसके शेयरधारकों को होने वाले लाभ पर (कुछ समायोजन के अधीन) पर लगता है, यदि यह देयता सामान्य दरों पर गणना की गई कर देयता से अधिक है। एमएटी के कारण अतिरिक्त देयता को बाद के वर्षों में क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में अनुमति दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता एमएटी देयता से अधिक होती है। इसलिए, एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर, भविष्य की कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यहास के दावों के कारण करों के आस्थगन की अवधि को प्रतिबंधित करता है और अन्य कटौतियों जैसे कि लाभ से जुड़ी कटौतियों को के राजस्व प्रभावों में लंबी समयावधि में उसी दावे का विस्तार करके कम करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 9.75% की गई थी।

तालिका 5 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है।

तालिका 5: कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21) [कंपनियों की संख्या - 9,17,494]

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव	अनुमानित राजस्व प्रभाव
		(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)
		[2019-20]	[2020-21]
1	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	21,562.47	23,664.81
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	35,418.38	38,871.67
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख))	6,354.63	6,974.21
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	2,305.60	2,530.40

⁴ एक करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत थी।

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	4,193.83	4,602.73
6	राजनीतिक दलों को योगदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	1,159.91	1273.01
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	4,967.76	5,452.12
8	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	401.18	440.30
9	दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	2.12	2.33
10	बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	15,607.96	17,129.74
11	बिजली संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	80.85	88.73
12	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती	924.87	1,015.04
13	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80- झख)	18.33	20.12
14	जम्मू और कश्मीर के अलावा अन्य औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	6.53	7.17
15	खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	696.19	764.07
16	आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80- झख)	11.08	12.16
17	कोल्ड चैन सुविधा के संचालन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	2.97	3.26
18	खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	17.33	19.02
19	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	183.10	200.95
20	ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	2.43	2.67
21	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80- झखक)	209.49	229.92
22	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	1,328.65	1,458.19
23	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	3,248.36	3,565.08
24	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	372.86	409.21
25	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	91.96	100.93
26	बायो-डिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जकक)	6.91	7.58
27	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जककक)	1,921.84	2,109.22
28	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती(धारा 80-ठक)	304.95	334.68
	कुल	1,01,402.54	1,11,289.29
	घटाएं: एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देयता	25,810.85	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट द्वारा घटाया गया	18,518.14	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	7,292.71	8,003.75
	कुल परित्यक्त राजस्व	94,109.83	1,03,285.54

जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) पिछले वर्ष के विवरण में 1,16,260.68 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। अब इसकी गणना वास्तव में 1,01,402.54 करोड़ रुपये की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए, एमएटी के परिणामस्वरूप एकत्र किए गए अतिरिक्त कर, कर प्रोत्साहनों का वास्तविक राजस्व प्रभाव पिछले वर्ष के विवरण में अनुमानित 99,842.06 करोड़ रुपये के कर व्यय के सापेक्ष थोड़ा कम 94,109.83 करोड़ रुपये से है। त्वरित मूल्यहास वह शीर्ष है जिसके तहत कर प्रोत्साहन की उच्चतम राशि (35,418.38 करोड़ रुपये) दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, एसईजेड में स्थित इकाइयों द्वारा प्राप्त कटौती (क्रम संख्या 1), बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रम (क्रम संख्या 10), बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों (क्रम संख्या 7)), निर्दिष्ट व्यवसाय (क्रम सं. 4) और वैज्ञानिक अनुसंधान पर कटौतियाँ (क्रम सं. 3) कुल कर प्रोत्साहन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। वित्त वर्ष 2018-19 (2,473.46 करोड़ रुपये) की तुलना में 2019-20 (4193.83 करोड़ रुपये) में धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों को दान के कारण कटौती में वृद्धि हुई है। क्योंकि इसमें अगले वित्तीय वर्ष में एक निर्दिष्ट तिथि तक किए गए दान भी शामिल हैं, जिसे वित्त वर्ष 2019-20 में कोविड -19 महामारी के कारण अनुमति दी गई थी।

कंपनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में तालिका में दिया गया है। निचली सीमा पर, कठोर कोयले के खनन और ढेर के लिए प्रभावी कर की दर 17.80 प्रतिशत है। इसी तरह, इस्पात उत्पादों के निर्माण और बिजली के उत्पादन, संग्रह और वितरण में भी क्रमशः 11.87 और 14.37 प्रतिशत की कम कर दर है जो प्रभावी कर दर से कम है। कुछ अन्य क्षेत्र जिनमें प्रभावी कर दरों की तुलना में कम कर दरें हैं, वे हैं पट्टे पर दी गई इमारतों (आवासीय और गैर-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराए पर देना (8.44 प्रतिशत), हवाई परिवहन (5.60 प्रतिशत), अन्य कृषि, पशुपालन और वानिकी (12.78 प्रतिशत), अन्य आवश्यक वस्तु सेवाएं (11.43 प्रतिशत)।

इसके अलावा कुछ घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने, नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास में, धारा 115खकक और 115खकक को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 (टीएलएए) के माध्यम से अधिनियम में डाला गया था। यह मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर दर और नई निगमित घरेलू कंपनियों के लिए 15% की रियायती कर दर प्रदान करता है, जो इस तरह की वस्तु के निर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण या निर्मित वस्तु के लिए 31 मार्च, 2023 तक नया निवेश करती हैं। यह रियायत कुछ शर्तों के अधीन है जिसमें वे किसी निर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं शर्त शामिल है। यह भी प्रावधान किया गया है कि रियायती कराधान व्यवस्था का चयन करने वाली घरेलू कंपनियों को किसी भी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस रियायती कर प्रोत्साहन के प्रभाव के (तालिका 5.1 में किए गए) विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कॉर्पोरेट रिटर्न में से 1,45,448 ने धारा 115बीएए के तहत रियायती कर की दर का विकल्प चुना है, जिसमें 933429.91 करोड़ रुपये कुल आय शामिल है और 1,244 ने अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत विकल्प लिया है, जिसमें कुल आय 35.13 करोड़ शामिल है। इस प्रकार, कुल आय का 62.01% वाली 15.85% कंपनियों ने धारा 115बीएए के तहत नई कर योजना का विकल्प चुना है और 0.14% कंपनियों ने अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत लाभ लेने का विकल्प चुना है। यह कंपनियों द्वारा नई रियायती कर व्यवस्था को अपनाने की दिशा में एक उत्साहजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है और साथ ही कटौती और छूट व्यवस्था से दूर हो जाता है।

तालिका 5.1: रियायती कर व्यवस्था का चयन करने वाली कंपनियों और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कंपनियों की तुलना (वित्तीय वर्ष 2019-20)

कुल आय के स्लैब (करोड़ में)	कंपनियों की संख्या (115बीएए के तहत)	कंपनियों की संख्या (115बीएबी के तहत)	कंपनियों की संख्या (पहले की कर दर 30% जमा अधिभार और उपकर के तहत)	कुल आय (115बीएए के तहत) (करोड़ में)	कुल आय (115बीएबी के तहत) (करोड़ में)	कुल आय (पहले की टैक्स दर 30% जमा सरचार्ज और उपकर के तहत) (करोड़ में)
शून्य और शून्य से कम	44067	981	483002	-	-	-
0-1	74948	256	248934	13,792.48	24.69	28,561.38
1-10	19,642	7	19,400	63,106.44	10.44	57,498.13
10-50	4,742	-	3,060	1,04,060.15	-	64,506.88
50-100	849	-	463	59,812.06	-	32,727.46
100-500	954	-	440	201,569.09	-	92,647.91
>500	246	-	130	4,91,089.68	-	2,95,778.13
कुल	1,45,448	1,244	7,55,429	9,33,429.91	35.13	5,71,719.89

ख. गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र [फर्म/एओपी/बीओआई आदि]

कॉर्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़े व्यवसाय को साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ [एओपी] या व्यक्तियों के निकाय [बीओआई] के रूप में भी संगठित किया जाता है। इन पर कर व्यय उतना बढ़ा नहीं है जितना कि कंपनियों के मामले में है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-2020 की आय के लिए 31 मई, 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल 15,79,898 रिटर्न प्राप्त हुए हैं। कर व्यय की गणना के उद्देश्य से, इन 15,79,898 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित आंकड़ों को डेटाबेस से निकाला गया था।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए: -

- संपूर्ण फर्मों/एओपी/बीओआई ने 2,32,804.18 करोड़ रु. करों से पहले लाभ के रूप में और 2,12,143.26 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। लगभग 3,07,035 रिटर्न से नुकसान दर्ज किया गया जो कुल का 19.43 प्रतिशत है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देय आयकर के रूप में [अधिभार और उपकर सहित] 64,269.81 करोड़ रुपये दर्ज किए हैं।

प्रत्येक कटौती की राशि पर फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना 33.72 प्रतिशत की आय कर दर (एक करोड़ से कम आय वाली फर्मों के लिए भारित औसत दर की गणना 31.20 प्रतिशत की दर से एक करोड़ से अधिक आय वाली फर्मों के लिए प्रत्येक कर दर स्लैब में आने वाले देय सकल कर के साथ) 34.94 प्रतिशत की दर से की जाती है) को लागू करके की गई है। त्वरित मूल्यहास के कारण कर व्यय कटौती; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती की गणना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि खातों में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। इसके बाद, प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 33.72 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके 2020-21 के लिए अनुमान लगाया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 9.75% की गई थी।

तालिका 6 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के संदर्भ में गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी समितियों के लाभों में कटौती के कारण जारी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 54.27 प्रतिशत की तुलना में कुल राजस्व प्रभाव का 55.48 प्रतिशत है। त्वरित मूल्यहास और एसईजेड (धारा 10ए के तहत) में स्थापित इकाइयों के कारण कर व्यय, छोड़े गए कुल राजस्व का क्रमशः 8.17 प्रतिशत और 14.31 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र, यानी फर्मों/एओपी/बीओआई के लिए कुल कर व्यय 8,043.07 करोड़ रु. होगा।

तालिका 6: गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव [फर्म/एओपी/बीओआई] वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव	अनुमानित राजस्व प्रभाव
		(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)
		[2019-20]	[2020-21]
1	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	1,151.30	1,263.55
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	656.80	720.84
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख))	16.56	18.17
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	41.73	45.80
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	154.70	169.78
6	राजनीतिक दलों को योगदान पर कटौती (धारा 80छछग)	42.50	46.64

7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	168.12	184.51
8	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	42.03	46.13
9	विद्युत सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80- झक)	391.08	429.21
10	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभ पर छूट (धारा 80- झक)	3.46	3.80
11	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट	225.06	247.00
12	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट (80-झख)	4.57	5.02
13	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ पर छूट (धारा 80-झख)	58.31	64.00
14	कोल्ड चैन सुविधा के संचालन से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ पर छूट (धारा 80-झख)	0.57	0.63
15	खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेवित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	7.22	7.92
16	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-झख)	47.01	51.59
17	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफा की कटौती (धारा 80-झखक)	263.13	288.79
18	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	190.53	209.11
19	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	25.35	27.82
20	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	26.83	29.45
21	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	14.97	16.43
22	जैविक कूड़े के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जकक)	10.70	11.47
23	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जककक)	36.87	40.46
24	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आयों के संबंध में कटौती (धारा 80-ठक)	0.85	0.93
25	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80त)	4,462.82	4,897.94
कुल		8,043.07	8,827.27

ग. व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम का अध्याय VI-क मुख्य रूप से कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आयों पर कटौती प्रदान करता है। व्यक्ति/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनके पास कई प्रकार की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति करदाता अपनी आय मुख्य रूप से वेतन से प्राप्त करते हैं, लाभ से जुड़ी कटौतियों [अर्थात् कतिपय व्यावसायिक आय पर कटौती] पर उनके द्वारा दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वैतनिक व्यक्तियों का समूह दोनों प्रकार की कटौती का दावा करता है। व्यक्ति करदाताओं को दिए गए कर प्रोत्साहन तालिका 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव की गणना 31 मई, 2021 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई **6,30,85,608** विवरणियों में कर विकल्पों के लिए विभिन्न दावों के आधार पर की गई है। भौतिक विवरणियों के छोटे हिस्से को ध्यान में रखने के लिए छोड़े गए कुल राजस्व में 2% की वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद

की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर 9.75% आंकी गई थी।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय की गणना के लिए वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा किए गए दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है, अर्थात्: -

- (i) वित्त अधिनियम, 2019 के अंतर्गत धारा 87क के अंतर्गत छूट की अधिकतम राशि की सीमा को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये करना।
- (ii) वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के तहत उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टियों के लिए अधिशुल्क में वृद्धि-
 - 50 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 10% का अधिशुल्क देना होगा,
 - 1 करोड़ से अधिक लेकिन 2 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 15% का अधिभार देना होगा,
 - 2 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 25% का अधिशुल्क देना होगा, और
 - 5 करोड़ से कम की आय वाले व्यष्टियों को 37% का अधिशुल्क देना होगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (एवाई 2020-21) के लिए दायर कुल 6, 30,85,608 आय विवरणी के आंकड़ों के आधार पर, करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

- (i) उच्च बुनियादी छूट सीमा के प्रभाव, (तालिका 7 की क्रम संख्या 26 और 27), की गणना प्रति वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक पर कर व्यय को उनकी संबंधित संख्याओं से गुणा करके की गई है। इन विवरणियों के आंकड़ों के मुताबिक, 11.33 प्रतिशत विवरणियों वरिष्ठ नागरिकों द्वारा और 0.71 फीसदी विवरणियों अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फाइल किया गया। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव की गणना को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच के अंतर को ध्यान में रखकर की गई है और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को लागू करते हुए परिकलित किया गया है।
- (ii) व्यष्टियों के मामले में, अधिनियम की धारा 80ग के अनुसार कुछ लिखतों में निवेश के लिए कटौती के दावे के कारण अधिकतम कर व्यय होता है।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय धारा 87क के तहत छूट के कारण रु. 26,609.76 करोड़ की राशि होती है

उपर्युक्त व्यौर के अनुसार, तालिका 7 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रक्षेपण के लिए, कर व्यय के संदर्भ में, व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 7: व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]
1	कुछ निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	80,456.51	88,301.02
2	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	294.26	322.95
3	नई पेंशन योजना में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	6,169.75	6,771.30
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ)	5,466.95	5,999.98
6	दिव्यांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	825.84	906.36
7	विशिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	1,054.52	1,157.33
8	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	935.90	1,027.15
9	रिहायशी आवास संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड)	289.57	317.80
10	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दिए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,177.84	1,292.68
11	आवास मकान के लिए भुगतान प्रदत्त किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,815.30	1,992.30

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]
12	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	11.85	13.00
13	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	544.53	597.62
14	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली निर्माण और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कार्य में उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	84.49	92.73
15	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80-झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती	0.05	0.05
16	आवास परियोजनाओं से लाभ और मुनाफा की कटौती (धारा 80-झखक)	96.66	106.08
17	आवास परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्न के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय और जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80-झख)	19.78	21.71
18	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	34.16	37.49
19	जैविक कूड़े कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80जक)	5.08	5.57
20	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जकक)	11.87	13.02
21	पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	10.94	12.01
22	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0.49	0.54
23	बचत खाते पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक)	1,371.39	1,505.10
24	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	518.74	569.32
25	धारा 87 क के अंतर्गत छूट	26,610	29,204.48
26	वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	1858.09	2,039.25
27	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	579.14	635.61
	कुल	155,429.45	1,70,583.82

व्यक्ति करदाताओं के मामले में विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी और बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के तहत आते हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना का राजस्व प्रभाव सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद पांच लाख रुपये तक की आय वाले निवासी भारतीयों के मामले में कर पर छूट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती और नई पेंशन योजना का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के संबंध में अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झक और धारा 80-झग के कारण है।

घ. धर्मार्थ निकाय

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा वित्त पोषित धर्मार्थ प्रकृति के कार्य में लगे निकाय सहित विभिन्न निकायों को छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय क्रिया-कलापों में संलग्न निकायों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन निकायों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रिया-कलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे निकायों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन निकायों को आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 31 मई, 2021 तक ऐसे निकायों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 2,24,839 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निकायों द्वारा प्रयुक्त कुल राशि 7,86,379.33 करोड़ रुपये है।

परिशिष्ट

पूरे उद्योग में कंपनियों की प्रभावी कर दर, अधिभार और शिक्षा उपकर सहित (वित्तीय वर्ष 2019-20) (कंपनियों की संख्या - 9, 17,494)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)	कुल कर (रुपये करोड़ में)	प्रभावी कर की दर (% में)
1	कृषि, पशु पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	4922	1153.59	233.48	20.24
2	कृषि, पशुपालन और वानिकी	मुर्गी पालन और अंडे का उत्पादन	631	496.35	124.78	25.14
3	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय का उत्पादन और विनिर्माण	1110	877.61	188.79	21.51
4	कृषि, पशुपालन और वानिकी	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	8359	2835.8	362.3	12.78
5	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन	283	54.14	13.49	24.91
6	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजे पानी की मात्स्यिकी, हैचरी और मत्स्य पालन से संबंधित सेवाएं	93	23.78	5.82	24.49
7	मत्स्य पालन	अन्य	388	192.2	48.3	25.12
8	खनन और उत्खनन	कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कर्षण	136	23,923.12	10,163.04	42.48
9	खनन और उत्खनन	कठोर कोयले का खनन और संचय	163	37,955.08	6,755.72	17.80
10	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क के अतिरिक्त अलौह धातु अयस्कों का खनन	49	8,668.44	2,107.77	24.32
11	खनन और उत्खनन	लौह अयस्क का खनन	220	7,017.83	1,731.27	24.67
12	खनन और उत्खनन	अन्य	3,639	6490.98	1849.28	28.49
13	उत्पादन	परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	337	47,115.12	7540.81	16.01
14	उत्पादन	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का निर्माण	6042	69,524.51	13,492.73	21.41
15	उत्पादन	मोटर वाहनों का निर्माण	389	32,754.08	8,478.18	26.82
16	उत्पादन	मोटर वाहन और इंजन के पुर्जे और सहायक उपकरण का निर्माण	3,203	24,410.24	5918.90	24.25
17	उत्पादन	इस्पात उत्पादों का निर्माण	3,975	47,563.70	5645.50	11.87
18	उत्पादन	अन्य रासायनिक उत्पादों का निर्माण	3,902	28,931.38	7084.95	24.49
19	उत्पादन	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	337	21,355.79	7084.95	23.70
20	उत्पादन	वस्त्रों का निर्माण (हथकरघा के अलावा)	8,732	16,294.99	3552.69	21.80
21	उत्पादन	विद्युत मशीनरी और उपकरण का निर्माण	2,260	12404.04	2035.61	16.41
22	उत्पादन	सीमेंट, चूना और प्लास्टर का निर्माण	680	19439.07	3941.50	20.28
23	उत्पादन	अन्य खाद्य उत्पादों का निर्माण	3,908	17924.58	4443.11	24.79
24	उत्पादन	रेडियो, टेलीविजन, संचार सामग्री और उपकरण का निर्माण	267	5444.55	1623.130	29.81
25	उत्पादन	साबुन और डिटरजेंट का निर्माण	298	1585.03	392.74	24.78

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)	कुल कर (रुपये करोड़ में)	प्रभावी कर की दर (% में)
26	उत्पादन	उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण	1,034	7874.98	1353.13	17.18
27	उत्पादन	रबर उत्पादों का निर्माण	1,116	6489.91	1609.52	24.80
28	उत्पादन	पेंट, वार्निश और समान कोटिंग्स का निर्माण	730	6587.98	1659.47	25.19
29	उत्पादन	प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	3,126	5546.69	1391.45	25.19
30	उत्पादन	कागज और कागज उत्पादों का निर्माण	2,581	5788.62	1399.36	24.17
31	उत्पादन	इंजन और टर्बाइन का निर्माण	214	2990.30	766.04	25.62
32	उत्पादन	गैस-वर्गीकृत सहित अन्य	93,778	2,16,800.9	51,889.9	23.93
33	विद्युत, गैस और जल	विद्युत का उत्पादन, संग्रह और वितरण	5,021	76,496.05	11,269.56	14.37
34	विद्युत, गैस और जल	गैस का निर्माण और वितरण	273	11,646.41	2,521.70	21.65
35	विद्युत, गैस और जल	जल का संग्रह, शुद्धिकरण और वितरण	149	107.53	24.79	23.06
36	विद्युत, गैस और जल	अन्य आवश्यक वस्तु सेवा एन.ई.सी	2,183	944.78	107.99	11.43
37	निर्माण	सड़कों, रेल, पुल, सुरंग, बंदरगाह, बंदरगाह, रनवे आदि का निर्माण और रखरखाव	5,041	28898.36	6035.83	20.89
38	निर्माण	पूर्ण निर्माण या पाटर्स सिविल ठेकेदार का भवन	18,525	13938.12	3161.09	22.68
39	निर्माण	गैस-वर्गीकृत सहित अन्य	48,138	30755.7	7194.1	22.27
40	रियल एस्टेट एवं रेंटल सेवाएं	लॉट में अचल संपत्ति का विकास और उप-विभाजन	9239	5401.40	1155.61	21.39
41	रियल एस्टेट एवं रेंटल सेवाएं	स्व-स्वामित्व भवन (आवासीय और गैस-आवासीय) वाली अचल संपत्ति का संचालन	3444	5579.40	1104.71	19.80
42	रियल एस्टेट और रेंटल सेवाएं	पट्टे पर दिए गए भवनों (आवासीय और गैस-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराये पर देना	6,001	8661.29	730.93	8.44
43	रियल एस्टेट और रेंटल सेवाएं	अनुबंध के आधार पर या शुल्क पर रियल एस्टेट गतिविधियां	6,117	1597.91	388.27	24.30
44	रियल एस्टेट और रेंटल सेवाएं	अन्य रियल एस्टेट/रेंटल सेवाएं एन.ई.सी.	36,608	17313.97	2587.91	14.95
45	मशीनरी का किराया	मशीनरी का किराया	2116	815.24	171.58	21.05
46	थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर के पुर्जे और सहायक उपकरण की थोक और खुदरा बिक्री	1,354	911.46	242.01	26.55
47	थोक एवं खुदरा व्यापार	थोक में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और उपकरण	3,216	4594.08	1172.52	25.52
48	थोक एवं खुदरा व्यापार	कपड़ा, परिधान, जूते, चमड़े की वस्तुओं की खुदरा बिक्री	5,174	3439.99	962.38	27.98
49	थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	,3,417	2398.85	543.83	22.67
50	थोक एवं खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी, उपकरण और आपूर्ति का थोक	2,717	2014.49	551.41	27.37
51	थोक एवं खुदरा व्यापार	गैस-वर्गीकृत सहित अन्य	1,54,773	74,116.6	16,342.4	22.05
52	होटल, रेस्टोरेंट एवं आतिथ्य सेवाएं	होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य सेवाएं	19,313	6,889.71	1,526.97	22.16

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)	कुल कर (रुपये करोड़ में)	प्रभावी कर की दर (% में)
53	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं	हवाई परिवहन	389	1326.73	74.26	5.60
54	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं	सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन	3,874	2774.45	679.38	24.49
55	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	16,697	16,529.5	3995.2	24.17
56	डाक एवं दूरसंचार सेवाएं	डाक और दूरसंचार सेवाएं	2,534	32,564.77	5,062.30	15.55
57	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और बट्टा घर	320	1,36,232.15	37,320.40	27.39
58	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ	2,295	30,489.37	7,301.478	23.95
59	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	आवासीय वित्त गतिविधियाँ	187	31469.51	4800.46	15.25
60	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	46,992	1,96,055.79	40,823.93	20.82
61	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं	22,890	155199.93	35978.60	23.18
62	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी सक्षम सेवाएं	22,572	50717.52	12970.24	25.57
63	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,361	6434.07	1763.35	27.41
64	कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य	15,235	9,711.94	2,459.01	25.32
65	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,730	1,349.69	310.37	23.00
66	व्यवसाय	इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श	4,219	6,203.28	1,831.98	29.53
67	व्यवसाय	व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियाँ	6,863	4,360.78	1083.15	24.84
68	व्यवसाय	विज्ञापन	2,423	1640.50	384.60	23.44
69	व्यवसाय	वास्तुकला व्यवसाय	1009	261.91	70.57	26.94
70	व्यवसाय	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	22,943	4312.00	1138.79	26.41
71	शिक्षा सेवाएं	कोचिंग सेंटर और ट्यूशन	2,857	808.07	200.26	24.78
72	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	616	261.08	59.95	22.96
73	शिक्षा सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	8,055	1659.95	443.03	26.69
74	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1,966	4158.73	1032.90	24.84
75	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	निदान केंद्र	1,468	1239.66	325.30	26.24
76	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	3,068	991.50	282.32	28.47
77	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	2,160	1595.43	368.58	23.10
78	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य	8,112	2,103.72	548.68	26.09
79	सामाजिक समुदायिक कार्य	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	2,756	114.34	27.38	23.95
80	संस्कृति और खेल	टेलीविजन चैनल प्रसारण	484	5,616.93	1,718.13	30.59
81	संस्कृति और खेल	मोशन पिक्चर प्रोडक्शन	1,363	1876.19	239.80	12.78
82	संस्कृति और खेल	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	4,737	3,127.54	7,92.16	28.71
83	अन्य सेवाएं	अन्य सेवाएं	2,14,547	88,655.28	25,336.26	28.58
84	अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन और निकाय	आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग	51	2.84	0.79	27.94
कुल			9,17,494	17,82,881.23	4,01,778.77	22.54

एन.ई.सी. कहीं और वर्गीकृत नहीं।

2020-21 और 2021-22 (अनुमानित) की अवधि के लिए सीमा शुल्क के लिए कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव का विवरण

वस्तुओं पर सीमा शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सामान्यतया इसे बुनियादी सीमा शुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया जाता है। कतिपय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क भी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है।

2.1 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यक्ति टैरिफ लाइनों के सामने विनिर्दिष्ट इन दरों को सामान्य रूप से "टैरिफ दरें" कहा जाता है। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियम (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत, जो विभिन्न वित्तीय अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू होती है), केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। छूट संबंधी ऐसी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों को "प्रभावी दरें" कहा जाता है।

2.2 इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- (i) सशर्त छूट की अधिसूचनाएं; और
- (ii) बिना शर्त छूट की अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त छूटों में वस्तु के लिए सामान्य प्रभावी शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। यह दर उस वस्तु के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी बिना शर्त प्रभावी छूट वस्तु के लिए एमएफएन दर निर्धारित करती है।

2.4 दूसरी ओर सशर्त छूट, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उच्चतर टैरिफ दर या एमएफएन दर की तुलना में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिए होती हैं, उदाहरण के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने, रक्षा संबंधी खरीद आदि। ऐसे मामलों में केवल वैसे आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होते हैं। इस प्रकार इन छूटों के परिणामस्वरूप संगत टैरिफ/एमएफएन दर की तुलना में राजस्व परित्यक्त करना होता है।

2.5 निर्यात योजनाओं के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात: कच्ची सामग्री और निविष्टियों की खरीद के लिए कतिपय छूटें दी गई हैं जो निर्यात माल में दी जाती हैं। इस प्रकार केवल इन छूटों से निर्यातों के शून्य दर वाले निर्यात के लिए निर्यात कर निष्प्रभावी होता है। चूंकि इन रियायतों का लक्ष्य निर्यातों का शून्य दर निर्धारण होता है, बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण इसके परिणामस्वरूप राजस्व परित्यक्त नहीं होता है।

2.6 स्क्रिप मार्ग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निर्यात से जुड़ी माफी या प्रोत्साहन: कुछेक योजनाएं ऐसी हैं जिनमें निर्यातकों को छूट अथवा प्रोत्साहन की अनुमति दी गई है। निर्यात बाकी वस्तुओं पर राज्य यथा केन्द्र द्वारा लगाए गए कुछेक करों अथवा उपकरों के स्थान पर छूट की अनुमति दी जाती है। ऐसी योजनाओं के उदाहरण एमईआईएस, एसईआईएस आदि हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क व्यापार योग्य स्क्रिप के रूप में क्रेडिट की अनुमति दी जाती है। बीसीडी के भुगतान के लिए स्क्रिप के प्रयोग को गत वर्ष तक राजस्व परित्याग के रूप में माना जाता था। तथापि परिवर्तित लेखांकन पद्धति में, वास्तविक स्वरूप पर विचार करते हुए स्क्रिप के माध्यम से चुकाए गए शुल्क को अब राजस्व के रूप में माना जाता है और निर्यातकों को दिए गए इस प्रकार के शुल्क क्रेडिट की संगणना व्यय के रूप में की जाती है। संशोधित पद्धति को इस वित्तीय वर्ष से अपनाया गया है।

3. एफटीए: भारत ने अनेक देशों या देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है। इसी प्रकार, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के तहत भारत इस करार के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट माल पर कम दर/छूट के लिए बाध्य है। इन अधिमानी प्रशुल्कों को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है। सरकारी वचनबद्धताओं के रूप में दिए गए ऐसे अधिमानी प्रशुल्क ऐसे करारों में शामिल आयातों के लिए भी सामान्य रूप से लागू होते हैं।

4. अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि बिना शर्त छूटें और सरकारी वचनबद्धता के रूप में की गई छूटें वास्तव में संबंधित वस्तु के लिए एमएफएन दरें (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का अधिकाधिक समुचित अनुमान केवल सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व होगा।

5. वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 (अनुमानित) के लिए राजस्व प्रभाव का आकलन : विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि के बिलों से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर आधारित होता है। आईसीईएस में दर्ज न किए गए आयातों के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन करने के लिए बर्हिवेशन किया गया है, कुल निर्यातों में आईसीईएस का हिस्सा 95% है जो वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 (अनुमानित) की अवधि के लिए है।

6.1 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 (अनुमानित) के लिए सीमा शुल्क पर कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

सारणी I : आधारभूत सीमा-शुल्क के कारण कर रियायतों का राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2020-2021)	राजस्व प्रभाव (2021-2022) (अनुमानित)
क.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार प्रशुल्क दर से कम अलग अलग दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	-	2,19,474	3,33,266
ख.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार शर्तरहित/तकनीकी बीसीडी छूटों के कारण	-	1,26,637	2,31,471
ग.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के कारण (सारणी II का संदर्भ लें)	-	64,502	68,851
घ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण ईडीआई स्थान (सारणी III का संदर्भ लें)	-	28,335	32,944
ङ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व - ईडीआई+गैर-ईडीआई स्थान	डीएक्स100/एफ*	29,826	34,678
च.	निविष्टि कर निष्प्रभाव स्कीम के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	79,841	49,261
छ.	निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	32,947	*
ज.	निवल परित्यक्त शुल्क (सीमा शुल्क टैरिफ रियायत के कारण)	ङ + छ	62,773	34,678

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी एंड प्रधान सीसीए

एफ बहिर्वेशन कारक है जो आईसीईएस द्वारा दर्ज न किए आयातों को शामिल करने के लिए वर्ष 2020-21 और 2021-22 (अनुमानित) के लिए 95% के बराबर है।

* देखें पैरा 2.6

6.2 वर्ष 2020-21 तथा 2021-2022 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I में क्र.स. ग देखें) के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी -II एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2020-2021)	राजस्व प्रभाव (2021-2022) (अनुमानित)
			(₹ करोड़)
1	आसियान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	35,259	24,348
2	कोरिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	6,173	8,713
3	जापान से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	4,810	7,539
4.	मलेशिया से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	1,330	873
5.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अन्य तरजीही व्यापार करार, कम विकसित देशों को रियायत से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	15,403	25,163
6.	अन्य	1,527	2,216
	कुल	64,502	68,851

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी

6.3 वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I में क्र.स. घ देखें) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी - III सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2020-2021)	राजस्व प्रभाव (2021-2022) (अनुमानित)
1	मोबाइल फोनो के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सामग्री को छूट के कारण (अधिसूचना सं.57/2017- सीमा शुल्क)	6,779	3,962
2	खनिज ईंधन, खनिज तेल आदि को बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं.52/2017- सीमा शुल्क)	388	1,683
3	आईटीए बाध्य सामग्री के विनिर्माण के लिए दी गई बीसीडी छूट के कारण (अधिसूचना सं. 24/2005- सीमा शुल्क तथा 25/2005 -सीमा शुल्क)	437	584
4	सार्वजनिक वित्तपोषित द्वारा अथवा सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान उपकरण को छूट के कारण (अधिसूचना सं. 51/1996-सीमा शुल्क)	252	210
5	अन्य वस्तुओं (क्रम संख्या 1 से 4 पर यथा उल्लिखित वस्तुओं से इतर) के लिए छूट तथा सीमा शुल्क की प्रभावी दरों के कारण	20,480	26,505
कुल (ईडीआई)		28, 335	32,944
कुल (ईडीआई + नॉन ईडीआई)		29,826	34,678

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी

6.4 वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 (अनुमानित) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर सारणी में क्र.सं. च और छ का संदर्भ लें) का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी -IV निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	स्कीम का नाम	राजस्व प्रभाव (2021-22)	राजस्व प्रभाव (2021-22) (वार्षिकीकृत)
1.	उन्नत लाइसेंस स्कीम	13,613#	11,704
2	ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड	5,825#	6,574
3	ईपीसीजी	2,322#	2,862
4	एसईजेड	24,506	27,511
5	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम	628#	610
6	भारत स्कीम से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात	19,267#	*
7	राज्य और केन्द्रीय कर उगाहियों की छूट	8,136#	*
8	सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम	5,260#	*
9	फोकस बाजार/उत्पाद स्कीम	62#	*
10	शुल्क मुक्त पात्रता ऋण प्रमाणपत्र	34#	*
11	लक्ष्य युक्त स्कीम	188#	*
12	कुल	79,841	49,261
13	इनपुट कर निष्प्रभावन अथवा छूट स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर क्रम संख्या 1 से 4)	46,894	49,261
14.	निर्यात सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम रखरखाव निर्यात पर राजस्व प्रभाव (उपर क्रम सं. 5 से 9 तक)	32,947	*

: वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक

* पैरा 2.6 देखें

स्रोत: डीजी (सिस्टन), सीबीआईसी

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च, 2022 के अनुसार

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक (अन.) 2020-2021	संशोधित अनुमान 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023
क. निधियों के स्रोत :			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां :			
<i>बचत जमा राशियां</i>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	877687.61	1058351.36	1278367.56
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	180663.75	220016.20	236618.62
<i>बचत प्रमाण-पत्र</i>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	251748.46	286905.76	329503.26
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	35157.30	42597.50	45811.91
<i>लोक भविष्य निधि</i>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	652446.80	742189.46	838791.03
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	89742.66	96601.57	103891.12
कुल जमा राशियां	2087446.58	2446661.85	2832983.50
वर्ष के दौरान निवल संग्रहण	305563.71	359215.27	386321.65
ख. निधियों का उपयोग :			
31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष			
राशियों के प्रति केंद्र सरकार की			
विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	386897.57	786855.95	1247718.63
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	442460.84	547611.23	380063.87
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-42502.46	-86748.55	-141509.67
1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	440437.98	415506.35	389504.52
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	20966.68	22881.16	24592.47
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-45898.31	-48882.99	-51171.11
प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	397452.44	481226.59	611887.91
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	83774.15	130661.32	186894.80
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	366546.00	125636.00	85000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	99636.00	864.00	30000.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-340546.00	-41500.00	...
भारतीय खाद्य निगम में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	254600.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	84636.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-339236.00
बीएमटीपीसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	23000.00	33000.00	...
वर्ष के दौरान वृद्धि	10000.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-33000.00	...
एमएमटीसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	1310.00
वर्ष के दौरान वृद्धि
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-1310.00
एयर इंडिया में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	2636.00	7636.00	...
वर्ष के दौरान वृद्धि	5000.00	864.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-8500.00	...
अन्य सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	85000.00	85000.00	85000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	30000.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
कुल निवेश	1873794.08	2398680.25	2827550.61
संचित संतुलन आय(-)/			
व्यय (+) लेखा	78524.46	47981.60	5432.89
नकद शेष	135128.04
जोड़	2087446.58	2446661.85	2832983.50

भाग ख

आस्ति और देयता विवरण

1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और बाह्य ऋण और अन्य देनदारियों की राशि, 2021-2022 (सं.अ.) के अंत के 135,87,893.16 करोड़ रुपए की तुलना में 2022-23 के अंत में 152,17,910.29 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2023 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	131,58,490.37	147,48,875.7
बाह्य ऋण #	4,29,402.79	4,69,034.52
जोड़	135,87,893.16	152,17,910.29

बाह्य ऋण मूल विनिमय दर पर।

टिप्पणी : केन्द्र सरकार के ऋण/देनदारियों के, जिनमें चालू विनिमय-दर पर बाह्य ऋण, ईबीआर और समायोज्य नकदी शेष सम्मिलित है, 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹139 लाख करोड़ और ₹155.31 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार से जुटाए गए ऋण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निवेशकों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधारियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्व्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2020-21 तक के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2021-22 और 2022-2023 की समाप्ति पर बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और बाह्य कर्ज के अंतर्गत बकाया राशि सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसा कि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। बाह्य देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन मूल विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया था।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों, भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों आदि, स्थानीय निधियों की जमा राशि और सिविल जमा राशि की बकाया राशि की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2020-2021 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण, जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है, अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता/अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023
	1950-1951	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021		
क लोक ऋण	2054.33	6651365.15	7344902.16	8319740.38	10296852.14	12005816.33	13639953.70
1. आंतरिक ऋण	2022.30	6401274.97	7074941.31	8020490.14	9908379.68	11576413.54	13170919.18
(i) जिसमें से निम्नलिखित के अंतर्गत है
(क) एमएसएस/सीएमबी के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियां
(ख) एमएसएस के अंतर्गत 91 दिवसीय राजकोषीय बिल
(ग) एमएसएस के अंतर्गत 182 दिवसीय राजकोषीय बिल
(घ) एमएसएस के अंतर्गत 364 दिवसीय राजकोषीय बिल
(ii) बाजार ऋण (विवरण 2, 2क, 2ख)	1444.95	5068407.97	5500141.10	5986127.21	7135144.44	8069915.72	9197251.20
(iii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ग)	...	56154.20	47687.95	35687.95	33410.99	33410.99	24687.95
(iv) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2घ)	...	80000.00	186000.00	251443.00	263562.00	278562.00	278562.01
(v) पुनः पूंजीकृत बांड, अन्य सरकारी नियंत्रित बैंकिंग संस्था (अनुबंध 2ड, 2द, 2ण)	4500.00	14904.60	22785.60	22785.60	22785.60
(vi) प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड	6.73	44544.83	46867.91	53225.94	72906.22	85303.64	84151.03
(vii) सॉवरेन स्वर्ण बांड 2015	...	6664.17	7336.40	9652.77	25690.02	41711.82	57553.68
(viii) स्वर्ण मौद्रिक योजनाएं	2854.34	4406.14	5670.74	7320.74	9050.74
(ix) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	151038.42	122335.52	154910.84	205575.74	205575.74	205575.74
(x) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	358.02	138725.92	92183.45	82583.38	93296.60	200599.29	178580.11
(xi) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	86871.86	119802.81	158156.60	139413.74	190451.85	226451.85
(xii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	159685.00	208896.00	217670.00	458240.00	399899.20	435918.38
(xiii) अर्थोपाय अग्रिम
(xiv) नकद प्रबंधन हुंडियां	80000.00
(xv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	104369.68	106522.96	101908.83	99138.18	95807.54	89726.16
(xvi) लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां	...	483919.24	608919.19	848919.20	1332651.73	1924175.73	2349624.73
(xvii) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	11000.00
2. विदेशी ऋण*	32.03	250090.18	269960.85	299250.24	388472.45	429402.79	469034.52
ख. अन्य देनदारियां	811.07	1583812.04	1738612.87	1899626.94	1782166.06	1582376.83	1578256.59
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	805684.91	892688.74	932963.66	754794.88	522486.15	483358.80
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	200736.68	216794.84	228430.17	246943.77	266943.77	286943.77
3 अन्य खाते	16.10	324632.47	326619.35	433789.52	446479.15	427728.39	402882.48
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई) (अनुबंध 2ड., 2च, 2छ)	...	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	152827.90	139554.05
(ii) अन्य मदें	16.10	161804.57	163791.45	270961.62	283651.25	274900.49	263328.43
4 आरक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	252757.98	302509.94	304443.59	333948.26	365218.52	405071.54
(i) सब्याज	260.85	143908.34	211436.27	160861.89	215479.55	237256.29	266362.61
(ii) निर्व्याज	102.20	108849.64	91073.67	143581.70	118468.71	127962.23	138708.93
जोड़-देनदारियां	2865.40	8235177.19	9083515.03	10219367.32	12079018.19	13588193.16	15218210.29
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	8234877.19	9083215.03	10219067.32	12078718.19	13587893.16	15217910.29
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
जोड़ (निवल)	2565.40	8234877.19	9083215.03	10219067.32	12079018.19	13588193.16	15218210.29

* शेष राशि अंकित मूल्य के अनुसार है।

**1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	496.74	1124374.28	1237463.45	1360383.43	1503332.81	1657393.12	1830811.88
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	1001913.13	1097143.73	1208236.16	1342541.08	1481391.98	1633761.59
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	122461.15	140319.72	152147.27	160791.73	176001.14	197050.29
2. सामाजिक सेवाएं	26.25	53618.59	73044.21	82931.73	90542.73	100772.84	112650.96
3. आर्थिक सेवाएं	965.02	1321699.44	1596007.74	1844559.53	2036368.68	2354698.25	2710086.57
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	...	20345.24	23127.39	26480.25	28829.39	37511.32	41465.04
(ii) ग्रामीण विकास	...	88.60	92.25	95.77	116.56	116.56	116.56
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	5468.32	5559.83	6139.43	7134.87	20267.95	33955.84
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	68531.11	70095.89	67254.77	70370.04	74159.71	76472.29
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	1084.06	1395.18	1661.08	1801.62	1972.05	2322.08
(ख) ऊर्जा	0.00	67447.05	68700.71	65593.69	68568.42	72187.66	74150.21
(v) उद्योग और खनिज	34.34	74273.26	82561.11	94404.67	99202.10	105799.38	113475.43
(vi) परिवहन	830.40	639111.37	767051.50	906119.54	1028853.95	1322503.23	1640549.94
(क) रेलवे	817.93	355503.68	408910.45	429780.79	522589.51	639588.24	776567.15
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	283607.69	358141.05	476338.75	506264.44	682914.99	863982.79
(vii) संचार	49.98	27745.87	30316.37	35536.41	40464.95	45990.13	99640.98
(क) डाक सेवाएं	49.98	4515.41	5026.68	5422.24	6099.66	6754.67	7372.90
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4719.39	4719.39	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	18511.07	20570.30	25394.79	29645.91	34516.08	87548.70
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	42005.69	49301.91	58527.83	64558.90	73980.23	84515.25
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	444129.98	567901.49	650000.86	696837.92	674369.74	619895.24
संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण	5478.21	10982.02
कुल जोड़	1488.01	2499692.31	2906515.40	3287874.69	3630244.22	4118342.42	4664531.43
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण							
राज्य सरकारें	195.58	157922.00	167383.98	176514.13	199046.78	232137.39	355529.46
जीएसटी के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को एक के बाद एक ऋण	110208.00	269208.00	269208.00
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	...	4089.43	4147.04	4300.04	4256.33	4158.49	4062.70
विदेशी सरकारें	...	13433.02	13557.87	14227.78	14456.20	14558.24	14916.18
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों के विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	507245.25	471206.21	440437.97	415506.35	389504.52	362925.88
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	162000.00	271636.00	366546.00	125636.00	85000.00	115000.00
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को हानियां	...	107637.84	113651.82	109461.53	78524.46	47981.60	5432.89
फण्ड मैनेजर सहित डाकघर बीमा कोष और हाथ-नकद	83146.35	93452.20	83313.17	72160.23
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि	24.58	111249.33	125546.31	143246.57	230201.22	251445.10	273962.24
सरकारी कर्मचारियों	0.51	95.23	159.12	182.83	224.64	224.64	224.64
जोड़	220.68	1063672.10	1167288.35	1338063.20	1271512.18	1377531.15	1473422.22
जोड़ पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण	1708.69	3563364.41	4073803.75	4625937.89	4901756.40	5495873.57	6137953.65
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए अग्रिम ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	4671512.78	5009411.28	5593129.43	7176961.79	8092019.59	9079956.64
जोड़	2565.40	8234877.19	9083215.03	10219067.32	12078718.19	13587893.16	15217910.29

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2020-21 के अंत की स्थिति के अनुसार)
(₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	40512.83 (6)	40512.83 (6)	...	0.83	40512.00 (6)
		वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग	27777.44 (64)	23480.00 (41)	4297.44 (23)	662.12	27115.32 (64)	160.56	160.56
		वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	0.01 (1)	0.01 (1)	0.01 (1)
		उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	9495.00 (1)
		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	60.87 (1)	60.87 (1)	60.87 (1)	80.94	80.94
		रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग	1152.60 (4)	1148.67 (4)	3.93	1152.60 (4)	91.94	...
		जोड़	78998.75 (77)	74697.38 (54)	4301.37 (23)	662.95	78335.80 (77)	333.44	241.50
2.	शेयर पूंजी की अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	17.00	8.50
		विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	70.00
		उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	37000.00 (5)	29000.00 (4)	8000.00 (1)	37000.00 (5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	रेल मंत्रालय	6405.19 (3)	4155.67 (3)	2249.52	6405.19 (3)	54.27	54.27	...	
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग	22513.97 (9)	7513.97 (7)	15000.00 (2)	22513.97 (9)	100.40	165.40	...	
	जोड़	72919.16 (19)	47669.64 (16)	25249.52 (3)				72919.16 (19)	241.67	298.17		
3.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय	50386.85 (51)	42816.11 (44)	7570.74 (7)	15414.12 (12)	34972.73 (39)	1956.15	2.50	...
		कोयला मंत्रालय	653.60 (3)	635.96 (3)	17.64	36.46	617.14 (3)	5.61	5.61	...
		विद्युत मंत्रालय	42965.18 (45)	41156.76 (43)	1808.42 (2)	4034.04 (2)	38931.14 (43)	851.97	851.97	...
		वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	20192.15 (27)	13394.86 (26)	6797.29 (1)	2847.99 (3)	17344.16 (24)	137.70	160.12	...
		वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग	183433.75 (206)	167295.86 (189)	16137.89 (17)	11958.88 (4)	171474.87 (202)	37.33	37.33	...
		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	55.49 (3)	53.42 (3)	2.07	3.30	52.19 (3)	0.22	0.22	...
		सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	550.69 (1)	550.69 (1)	...	94.66	456.03 (1)	1.38	1.38	...
		नदीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	11785.82 (17)	11208.57 (16)	577.25 (1)	732.64	11053.18 (17)	195.98	195.98	...
		इस्पात मंत्रालय	356.89 (2)	356.89 (2)	...	13.50	343.39 (2)	0.94	0.94	...
		आवासन और शहरी विकास मंत्रालय	1247.68 (4)	1234.22 (4)	13.46	192.67	1055.01 (4)	13.74	13.74	...
		वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग	1054.00 (1)	1054.00 (1)	1054.00 (1)	2.34	3.39	...
		विदेश मंत्रालय	68989.96 (8)	67954.64 (8)	1035.32	68989.96 (8)
	जोड़	381672.06 (368)	347711.98 (340)	33960.08 (28)	35328.26 (21)	346343.80 (347)	3203.36	1273.18	...	
4.	विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा रेलवे को बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।		
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां		
कुल जोड़			533589.97 (464)	470079.00 (410)	63510.97 (54)	35991.21 (21)	497598.76 (443)	3778.47	1812.85	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित लेखा महानियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण हुए परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं।
2. वर्ष 2020-21 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 27,519.76 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6) है। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹63,510.97 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2020-2021 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर जीडीपी का 0.32 प्रतिशत है।
3. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए (जनवरी, 2022 तक) ₹ 26,530.88 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2021-22 ब.अ. में अनुमानित जीडीपी का 0.12% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
4. गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्याधीन निकाय द्वारा ऋण की अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाती है।

1 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2020-21, के अंत की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़)

	2020-21 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2020-21 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2020-21 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
वास्तविक परिसम्पत्तियां:			
भूमि	374578.30	3171.50	377749.80
भवन			
कार्यालय	37885.42	3332.52	41217.94
रिहायशी	18482.37	620.87	19103.24
सड़कें	12045.95	73.60	12119.55
पुल	12088.32	9.98	12098.30
सिंचाई परियोजनाएं	1351.93	0.38	1352.31
विद्युत परियोजनाएं	800.06	32.87	832.93
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	5517.61	-138.49	5379.12
मशीनरी और उपस्कर	32713.41	1100.95	33814.36
कार्यालय उपस्कर	3776.56	-180.31	3596.25
वाहन	2320.63	109.69	2430.32
जोड़	501560.56	8133.56	509694.12
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	542836.89	48538.01	591374.90
बोनस शेयर	1418.63	-961.55	457.08
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण	4939.67	-10.22	4929.45
विदेशी सरकारों को ऋण	15615.27	233.53	15848.80
कम्पनियों को ऋण	68257.71	200.15	68457.86
अन्य को ऋण	88519.80	6947.73	95467.53
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	476012.91	28979.48	504992.39
अन्य	186353.50	-92.83	186260.67
जोड़	1383954.38	83834.30	1467788.68
कुल जोड़	1885514.94	91967.86	1977482.80

टिप्पणियां:

- ₹ 2 लाख की न्यूनतम मूल्य से ऊपर की आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संगृहीत करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू मिलान/परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतया रेल मंत्रालय के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में रेल सुरक्षा निधि और समावेशी विनिवेश में सुधार, आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में एनआईआईएफ लि. की कुछ आस्तियों को शामिल न करने से, विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई पुनर्विनियोजन, भारी उद्योग विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में गलत प्रविष्टि के लिए की गई सुधार के कारण आधा है।

2 - केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021		
3.00%	ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73
3.00%	ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60
2.25%	ऋण, 1954	15.11.1954	35.06
3.50%	ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87
4.50%	ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06
2.50%	ऋण, 1955	01.10.1955	60.45
3.00%	विजय ऋण, 1957	01.09.1957	114.07
4.50%	ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85
3.00%	द्वितीय विजय ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66
2.75%	ऋण, 1960	15.07.1960	45.63
4.00%	ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30
2.50%	ऋण, 1961	01.08.1961	57.01
2.75%	ऋण, 1962	15.11.1962	75.87
3.00%	ऋण, 1963-65	01.06.1963	116.17
3.00%	ऋण, 1964	15.06.1964	30.33
3.00%	निधियन ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12
3.00%	प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06
2.75%	ऋण, 1976	16.09.1976	14.77
7.83%	सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	...	40518.39
8.24%	सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	...	27203.80
10.45%	सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	...	3716.00
5.69%	सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	10000.00
12.60%	सरकारी स्टॉक, 2018	23.11.2018	...	12631.88
5.64%	सरकारी स्टॉक, 2019	02.01.2019	...	10000.00
6.05%	सरकारी स्टॉक, 2019	02.02.2019	...	53000.00
7.28%	सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	...	53000.00	42038.00
6.05%	सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	4000.00	4000.00
6.90%	सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	...	45000.00	42840.00
10.03%	सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	...	6000.00	6000.00
6.35%	सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	56000.00	56000.00
8.19%	सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	...	74000.00	74000.00
6.65%	सरकारी स्टॉक, 2020	09.04.2020	43545.96	29608.43
10.70%	सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	...	6000.00	6000.00	6000.00
7.80%	सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	...	75000.00	75000.00	49962.43
8.27%	सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	...	73000.00	73000.00	52867.57
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020		21.12.2020	...	13000.00	13000.00	13000.00
8.12%	सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	...	76000.00	76000.00	49493.16
11.60%	सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00
7.00%	सरकारी स्टॉक, 2021	21.01.2021	12000.00	29145.06
7.80%	सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	66000.00	67492.66	67047.66	53272.44	...
7.94%	सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	49425.00	49425.00	48555.00	38700.55	...
10.25%	सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	26213.32	26213.32	13213.32	...
6.17%	सरकारी स्टॉक, 2021	15.07.2021	41206.57	34069.94	...
8.79%	सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	83000.00	83000.00	82330.46	75300.45	...
8.20%	सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	56000.00	51984.54	48089.54	...
5.09%	सरकारी स्टॉक, 2022	13.04.2022	0	59054.88	27354.88
8.35%	सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	77000.00	77000.00	77000.00	51095.00	48870.83
8.15%	सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	83000.00	83000.00	79000.00	73786.12	70876.12
8.08%	सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	66000.00	66000.00	66000.00	61019.71	46388.94
8.13%	सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	68000.00	61311.49	54321.49
3.96%	सरकारी स्टॉक, 2022	09.11.2022	0	19545.05	28410.11
6.84%	सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	...	87000.00	99000.00	99000.00	88347.51	85976.76
6.30%	सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	13000.00	12710.00	12710.00
7.37%	सरकारी स्टॉक, 2023	16.04.2023	39987.81	39987.81	35782.81	35642.81
4.26%	सरकारी स्टॉक, 2023	17.05.2023	38887.27
7.16%	सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	77100.00	77100.00	77100.00	74275.00	74275.00
6.17%	सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	6000.00	4000.00	4000.00
4.48%	सरकारी स्टॉक, 2023	02.11.2023	55925.29	55925.29
8.83%	सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	83000.00	83000.00	83000.00	68642.22	63142.22
4.56%	सरकारी स्टॉक, 2023	29.11.2023	8500.00	8500.00
7.68%	सरकारी स्टॉक, 2023	27.04.2023	...	88132.01	88132.01	88132.01	87089.01	87089.01
7.32%	सरकारी स्टॉक, 2024	28.01.2024	18000.00	87000.00	72710.38	66060.38
7.35%	सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	90168.02	90168.02	52448.33	52448.33	52448.33

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट	
		1950-1951	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021			
8.40%	सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	90000.00	90000.00	79533.53	79533.53	79533.53	79533.53
6.18%	सरकारी स्टॉक, 2024	04.11.2024	48552.51	102090.28	102090.28	102090.28
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024	07.11.2024	...	110965.03	116965.03	116965.03	116965.03	116965.03	116965.03
9.15%	सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	92000.00	92000.00	84062.54	84062.54	84062.54	84062.54
7.72%	सरकारी स्टॉक, 2025	25.05.2025	...	86000.00	90031.81	90031.81	90031.81	90031.81	90031.81
5.22%	सरकारी स्टॉक, 2025	15.06.2025	118000.00	118000.00	118000.00
8.20%	सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
5.15%	सरकारी स्टॉक, 2025	09.11.2025	116465.24	116465.24	116465.24
7.59%	सरकारी स्टॉक, 2026	11.01.2026	...	87000.00	119000.00	119000.00	119000.00	119000.00	119000.00
7.27%	सरकारी स्टॉक, 2026	08.04.2026	55000.00	60248.95	60248.95	60248.95
5.63%	सरकारी स्टॉक, 2026	12.04.2026	149503.14	149503.14	149503.14
8.33%	सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	90000.00	90000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
6.97%	सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	...	91000.00	91578.39	89743.39	89743.39	89743.39	89743.39
10.18%	सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
5.74%	सरकारी स्टॉक, 2026	15.11.2026	30000.00	30000.00	30000.00
8.15%	सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	86489.21	86489.21	82963.85	82963.85	82963.85	82963.85
8.24%	सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	89000.00	107000.00	107000.00	107000.00	107000.00	107000.00
6.79%	सरकारी स्टॉक, 2027	15.05.2027	...	121000	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00
8.26%	सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72000.00	72300.68	96299.29	96299.29	96299.29	96299.29
8.28%	सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	88000.00	88748.48	88748.48	88748.48	90614.19	90614.19
7.17%	सरकारी स्टॉक, 2028	08.01.2028	...	33000	113148.45	113148.45	113148.45	115583.73	115583.73
6.01%	सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60%	सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	85358.46	85358.46
6.13%	सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2028	04.10.2028	20816.46	20816.46	20816.46
7.26%	सरकारी स्टॉक, 2029	14.01.2029	28000.00	118830.80	118830.80	118830.80	118830.80
7.59%	सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	96236.79	96236.79	96236.79	96236.79	96236.79	96236.79
6.45%	सरकारी स्टॉक, 2029	07.10.2029	95840.16	114840.16	114840.16	114840.16
6.79%	सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	...	118801.13	118801.13	118801.13	118801.13	118801.13	118801.13
7.88 %	सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2029	...	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00
7.61%	सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	...	85000.00	85000.00	100989.44	100989.44	100989.44	100989.44
5.79%	सरकारी स्टॉक, 2030	11.05.2030	111618.58	111618.58	111618.58
5.77%	सरकारी स्टॉक, 2030	03.08.2030	123000.00	123000.00	123000.00
9.20%	सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55
5.85%	सरकारी स्टॉक, 2030	01.12.2030	74405.32	119270.50	119270.50
8.97%	सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.10%	सरकारी स्टॉक, 2031	12.07.2031	148000.00	148000.00	148000.00
6.68%	सरकारी स्टॉक, 2031	17.09.2031	...	85251.7	93251.70	93251.70	105397.51	105397.51	105397.51
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2031	07.12.2031	46000.00	106000.00	120000.00	139915.72	139915.72
6.54%	सरकारी स्टॉक, 2032	17.01.2032	13000.00	13000.00	13000.00
8.28%	सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
8.32%	सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.95%	सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	89000.00	115000.00	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00
7.57%	सरकारी स्टॉक, 2033	17.06.2033	94790.60	120790.60	120790.60	120790.60
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2033	22.09.2033	94581.16	149481.99	149481.99
8.24%	सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	87275.00	99275.00	99275.00	99275.00	99275.00	99275.00
6.57%	सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	...	47000.00	66655.89	66655.89	95960.48	95960.48	95960.48
7.50%	सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	90000.00	99101.13	99101.13	99101.13	99101.13	99101.13
6.19%	सरकारी स्टॉक, 2034	16.09.2034	127000.00	127000.00	127000.00
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2034	30.10.2034	42800.05	42800.05	42800.05
7.73%	सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	98000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
6.22%	सरकारी स्टॉक, 2035	16.03.2035	112654.57	112654.57	112654.57
6.64%	सरकारी स्टॉक, 2035	16.06.2035	145353.98	145353.98	145353.98
7.40%	सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	53245.00	97245.00	99245.00	99245.00	99245.00	99245.00
6.67%	सरकारी स्टॉक, 2035	15.12.2035	84081.11	84081.11
8.33%	सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
6.83%	सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.62%	सरकारी स्टॉक, 2039	15.09.2039	38150.91	38150.91	38150.91	38150.91
8.30%	सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83%	सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30%	सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	104529.44	104529.44	104529.44	104529.44	104529.44	104529.44
7.69%	सरकारी स्टॉक, 2043	17.06.2043	37000.00	37000.00	37000.00	37000.00
9.23%	सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28
8.17%	सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	86000.00	97000.00	97000.00	97000.00	97000.00	97000.00
8.13%	सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	73000.00	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00
7.06%	सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	...	55000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021		
7.72% सरकारी स्टॉक, 2049	15.06.2049	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
7.16 % सरकारी स्टॉक, 2050	20.09.2050	99798.36	99798.36	99798.36
6.67 % सरकारी स्टॉक, 2050	17.12.2050	43664.07	149162.34	149162.34
6.62 % सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	...	46000.00	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00
6.99 % सरकारी स्टॉक, 2051	15.12.2051	35000.00	35000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	46000.00	92000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
7.63% सरकारी स्टॉक, 2059	17.06.2059	83461.95	83461.95	83461.95	83461.95
7.19% सरकारी स्टॉक, 2060	15.09.2060	98381.04	98381.04	98381.04
6.80% सरकारी स्टॉक, 2060	15.12.2060	101176.43	101176.43	101176.43
6.76% सरकारी स्टॉक, 2061	22.02.2061	12859.10	146999.93	146999.93
6.95% सरकारी स्टॉक, 2061	16.12.2061	35000.00	35000.00
3.00% ऋण, 1896-97		8.93
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92
ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	20.58	20.19	18.98	18.18
जांच/मिलान के तहत अंतर		...	0.09	0.43	-0.07	3.33
हस्तक्षेप अवधि और समायोजनों (शेष आंकड़े) को ध्यान में रखते हुए 2021-22 में अनुमानित उधार		159643.47	159643.47
हस्तक्षेप अवधि में लेनदेन		-8375.06	-8375.06
स्टॉक से पुनःखरीद	
2022-23 में अनुमानित उधार		1495000.00
स्विच के माध्यम से अनुमानित निर्गम		100000.00
स्विच में अनुमानित पुनःभुगतान		-100000.00
जोड़-चालू ऋण		1444.95	5048629.22	5478028.36	5964016.91	7113035.19	8049439.49	9182240.36

2क - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	...
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	...
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		...	20808.78	20808.78	20808.78	20808.78	19176.45	13711.76

2ख - मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

1.44% मुद्रास्फीति सूचकांक जीएस 2023	05.06.2023	...	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14
आईआईएनएसएससी	05.06.2023	...	71.08	68.82	66.38	65.34	64.64	63.94
जोड़		...	1306.22	1303.96	1301.52	1300.48	1299.78	1299.08

2ग - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां

5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	8723.04	8723.04	...
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		...	53817.95	47687.95	35687.95	33410.99	33410.99	24687.95

2घ - डाक विभाग को जारी भारत सरकार के विशेष बांड (लोक लेखा से बाजार ऋणों में पोलिफ का प्रतिभूतिकरण)

पीएलआई भारत सरकार विशेष अस्थिर दर बाँड 2022	30.03.2022	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68	...
8.08% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
6.25% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2031	31.03.2031	4000.00	4000.00	4000.00
जारी होने वाली संभावित प्रतिभूति		7000.00	7000.00
जोड़		...	16893.68	16893.68	16893.68	20893.68	20893.68	14000.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021		
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	12.11.2033	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
ब्याज-भिन्न (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	14.12.2033	916.00	916.00	916.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.12.2033	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	03.01.2034	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	31.01.2034	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	21.02.2034	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.23 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	20.03.2034	138.00	138.00	138.00	138.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	28.03.2034	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
ब्याज-भिन्न (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	31.03.2034	2416.00	2416.00	2416.00
6.70 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00
6.70 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00
ब्याज-भिन्न (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	14.12.2034	916.00	916.00	916.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	03.01.2035	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00
6.28 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	20.03.2035	138.00	138.00	138.00	138.00
ब्याज-भिन्न (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	31.03.2035	2416.00	2416.00	2416.00
ब्याज-भिन्न (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	14.12.2035	916.00	916.00	916.00
ब्याज-भिन्न (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	31.03.2036	2416.00	2416.00	2416.00
प्रतिभूतियाँ 2021-22 में निर्गम होने की संभावना है		15000.00	15000.00
2022-23 में प्रावधान		0.01
जोड़		...	80000.00	186000.00	251443.00	263562.00	278562.00	278562.01

2ड - एक्सिम बैंक को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.03.2029	...	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	15.11.2029	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.03.2030	...	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	15.11.2030	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2031	...	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	15.11.2031	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2032	...	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	15.11.2032	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2033	...	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	15.11.2033	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2034	...	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	15.11.2034	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
जोड़		...	4500.00	5050.00	5050.00	5050.00	5050.00	5050.00

2ड - आईडीबीआई बैंक लि. को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	1316.00	1316.00	1316.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	1313.00	1313.00	1313.00
6.64 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.09.2029	762.00	762.00	762.00	762.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	1313.00	1313.00	1313.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.09.2030	759.00	759.00	759.00	759.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	1313.00	1313.00	1313.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.09.2031	759.00	759.00	759.00	759.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	1313.00	1313.00	1313.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.09.2032	759.00	759.00	759.00	759.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	1313.00	1313.00	1313.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.09.2033	759.00	759.00	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	23.09.2034	759.00	759.00	759.00	759.00
जोड़		4557.00	12438.00	12438.00	12438.00

2ण - आईआईएफसीएल को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

6.29 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	30.03.2030	887.60	887.60	887.60	887.60
6.34 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	30.03.2031	882.00	882.00	882.00	882.00
6.34 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	30.03.2032	882.00	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	30.03.2033	882.00	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	30.03.2034	882.00	882.00	882.00	882.00
6.44 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	30.03.2035	882.00	882.00	882.00	882.00
जोड़		5297.60	5297.60	5297.60	5297.60

2थ - जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार

5.22% सरकारी स्टॉक, 2025	15.06.2025	6000.00
4.48% सरकारी स्टॉक, 2023	02.11.2023	55104.00
5.15% सरकारी स्टॉक, 2025	09.11.2025	49104.00
जोड़ (2020-21)		110208.00
5.63% सरकारी स्टॉक, 2026	12.04.2026	136000.00	...
4.26% सरकारी स्टॉक, 2023	04.26.2023	23000.00	...
जोड़ (2021-22)		159000.00	...

2थ - जीएसटी प्रतिपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को एक के बाद एक ऋण जारी करना

राज्य का नाम	जारी ऋण	3 वर्षीय ऋण	5 वर्षीय ऋण	जारी ऋण	2 वर्षीय ऋण	5 वर्षीय ऋण	2020-21 : 2021-22 में जारी कुल ऋण
आन्ध्र प्रदेश	2311.00	1155.50	1155.50	3272.19	473.32	2798.87	5583.19
अरुणाचल प्रदेश
असम	994.00	497.00	497.00	1773.87	256.62	1517.25	2767.87
बिहार	3905.00	1952.50	1952.50	6815.63	985.99	5829.64	10720.63
छत्तीसगढ़	3109.00	1554.50	1554.50	4965.15	718.23	4246.92	8074.15
गोवा	840.00	420.00	420.00	846.91	122.53	724.38	1686.91
गुजरात	9222.00	4611.00	4611.00	13040.21	1886.34	11153.87	22262.21
हरियाणा	4352.00	2176.00	2176.00	7393.79	1069.60	6324.19	11745.79
हिमाचल प्रदेश	1717.00	858.50	858.50	2695.22	389.86	2305.36	4412.22
झारखंड	1689.00	844.50	844.50	2484.41	359.33	2125.08	4173.41
कर्नाटक	12407.00	6203.50	6203.50	18108.91	2619.59	15489.32	30515.91
केरल	5766.00	2883.00	2883.00	8739.31	1264.16	7475.15	14505.31
मध्य प्रदेश	4542.00	2271.00	2271.00	7011.17	1014.19	5996.98	11553.17
महाराष्ट्र	11977.00	5988.50	5988.50	13782.36	1993.67	11788.69	25759.36
मणिपुर
मेघालय	112.00	56.00	56.00	141.16	20.39	120.77	253.16
मिजोरम
नागालैंड
ओडिशा	3822.00	1911.00	1911.00	6430.20	930.15	5500.05	10252.20
पंजाब	8359.00	4179.50	4179.50	12132.41	1754.98	10377.43	20491.41
राजस्थान	4604.00	2302.00	2302.00	7268.29	1051.38	6216.91	11872.29
सिक्किम
तमिलनाडु	6241.00	3120.50	3120.50	8095.25	1171.01	6924.24	14336.25
तेलंगाना	2380.00	1190.00	1190.00	4569.49	660.94	3908.55	6949.49
त्रिपुरा	226.00	113.00	113.00	401.37	58.00	343.37	627.37
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	5865.00	2932.50	2932.50	6192.67	895.87	5296.80	12057.67
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर	2272.00	1136.00	1136.00	3845.49	556.21	3289.28	6117.49
संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी	742.00	371.00	371.00	1096.29	158.55	937.74	1838.29
उत्तर प्रदेश	6007.00	3003.50	3003.50	8139.94	1177.52	6962.42	14146.94
उत्तराखण्ड	2316.00	1158.00	1158.00	3333.03	482.15	2850.88	5649.03
पश्चिम बंगाल	4431.00	2215.50	2215.50	6425.28	929.42	5495.86	10856.28
जोड़	110208.00	55104.00	55104.00	159000.00	23000.00	136000.00	269208.00

3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक (अन.) 2020-2021		बजट अनुमान 2021-2022		संशोधित अनुमान 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023	
	प्राप्तियाँ	संवितरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	प्राप्तियाँ	संवितरण
क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश :								
अथ शेष (ओ)	1781882.87	...	2092404.20	...	2087446.58	...	2446661.85	...
	16518.16	135128.04
1 संग्रहण और संवितरण :								
(i) बचत जमा राशियाँ	750163.79	569500.04	715655.84	517288.98	796762.75	576746.55	856886.46	620267.84
(ii) बचत प्रमाण पत्र	68213.21	33055.91	80328.51	32912.53	70970.18	28372.68	76325.59	30513.68
(iii) लोक भविष्य निधि	122766.60	33023.94	124236.21	29714.23	150600.89	53999.32	161965.23	58074.11
वर्ष में कुल संग्रहण और संवितरण (ग)	941143.60	635579.89	920220.56	579915.74	1018333.82	659118.55	1095177.28	708855.63
जोड़ (1)=(ण)+(ग)	2723026.47	635579.89	3012624.76	579915.74	3105780.40	659118.55	3541839.13	708855.63
2 निवेश :								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश (i)	...	1655903.18	...	1989429.07	...	1873794.08	...	2398680.25
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	42502.46	442460.84	91343.37	349438.78	86748.55	547611.23	141509.67	380063.87
(iv) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	45898.31	20966.68	47264.03	25000.00	48882.99	22881.16	51171.11	24592.47
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	83774.15	...	133831.60	...	130661.32	...	186894.80
(vi) सरकारी एजेंसियों में निवेश	340546.00	99636.00	55000.00	40000.00	41500.00	864.00	...	30000.00
(क) भारतीय खाद्य निगम में निवेश	339236.00	84636.00	55000.00
(ख) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	...	10000.00	33000.00
(ग) एमएमटीसी में निवेश	1310.00
(घ) एयर इंडिया में निवेश	...	5000.00	8500.00	864.00
(घ) अन्य	40000.00	30000.00
वर्ष में कुल निवेश एवं अदायगी (1) जोड़ (2)=(i)+(I)	428946.77	646837.67	193607.40	548270.38	177131.54	702017.71	192680.78	621551.14
	428946.77	2302740.85	193607.40	2537699.45	177131.54	2575811.79	192680.78	3020231.39
ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय :								
3 ब्याज से आय (II)								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	6779.76	...	6779.76	...	6779.76	...	6779.76	...
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	35344.86	...	59839.84	...	70853.62	...	98875.62	...
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	41990.24	...	39963.96	...	39196.06	...	37340.22	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक (अन.) 2020-2021		बजट अनुमान 2021-2022		संशोधित अनुमान 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों से विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	37133.51	...	46072.52	...	43422.46	...	53471.84	...
(v) सरकारी एजेंसियों में निवेश	31501.37	...	31767.21	...	10718.58	...	6860.00	...
(क) भारतीय खाद्य निगम में निवेश	21887.80	...	20956.54
(ख) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	2377.40	...	2687.00	...	2998.79
(ग) एयर इंडियामें निवेश	354.51	859.79
(घ) अन्य	6881.66	...	8123.67	...	6860.00	...	6860.00	...
उप-जोड़ [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)] (II)	152749.74	...	184423.29	...	170970.48	...	203327.44	...
3.1 एनएसएसएफ की अन्य आय (णइ)								
अन्य प्राप्तियां	234.07	...	754.00	...	300.00	...	315.00	...
जोड़ (3)= (II)+(णइ)	152983.81	...	185177.29	...	171270.48	...	203642.44	...
4 व्याज भुगतान (झत):								
बचत जमा राशियां	...	55322.67	...	68959.45	...	66191.62	...	78282.13
बचत प्रमाण पत्र	...	10350.89	...	34329.94	...	11849.93	...	13452.50
लोक भविष्य निधि	...	45876.51	...	54314.09	...	51671.40	...	57890.14
जोड़ (4)	...	111550.07	...	157603.48	...	129712.95	...	149624.77
5 प्रबंधन लागत:								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	7055.79	...	9830.35	...	7399.52	...	7727.06
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	182.78	...	198.09	...	193.75	...	203.44
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	...	3218.09	...	3157.21	...	3341.40	...	3508.46
मुद्रण की लागत	...	40.00	...	30.00	...	80.00	...	30.00
जोड़ (5)	...	10496.66	...	13215.65	...	11014.67	...	11468.96
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि(एनएसएसएफ) की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	152983.81	122046.73	185177.29	170819.13	171270.48	140727.62	203642.44	161093.73
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)	-30937.08	...	-14358.16	-30542.86	...	-42548.71

4. वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय*								
1.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवनाहल्ली (केएनटी-1)	402.34	1185.84	20-04-2009	25-03-2027	18	65.88	395.28
2.	मोकामा-मुंगेर	351.54	998.50	19-07-2013	14-05-2026	12.5	79.88	359.46
3.	बिहार राज्य में एनएच-31 के 270 कि.मी. से 410 कि.मी. तक के पुर्निया-खगरई खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ इसे दो लेन का करना	664.00	1624.00	02-04-2014	02-10-2028	14.5	112.00	840.00
4.	तंबारम-टिंडीवानम	564.30	1255.68	03-05-2005	09-11-2019	15	83.72	...
5.	बिहार राज्य में 0.000 कि.मी. से 46.300 कि.मी. तक के एनएच 77 पर हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड को 4 लेन का बनाना और 16.870 कि.मी. के नए बाईपास का निर्माण जो 46.300 कि.मी. पर शुरू होकर एनएच 28 पूर्व पश्चिम गलियारे को 515.045 कि.मी. पर जोड़ेगा	671.70	2365.00	01-03-2017	01-09-2029	12.5	189.20	1513.60
6.	एनएच-57 पर कोसी नदी	418.04	1084.60	04-04-2010	04-04-2027	17	63.80	382.80
7.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगम	542.80	1515.30	20-06-2005	20-12-2019	15	101.02	0.00
8.	पानागढ़-पालसित	350.00	1665.00	21-06-2005	21-12-2019	15	111.00	0.00
9.	पालसित-दानकुनी	432.40	1199.94	27-08-2005	27-02-2020	15	80.00	0.00
10.	गोरखपुर बाइपास	600.24	1701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20	631.80
11.	एनएच-3 के 42.033 कि.मी. से 103.000 कि.मी. तक ग्वालियर बाइपास	300.93	928.55	06-10-2009	06-04-2027	17.5	53.06	318.36
12.	कोटकाटा-कुर्नूल (हैदराबाद बैंगलोर खंड) (एनएस-2/बीओटी/एपी-5) 135.740 कि.मी. से 211.000 कि.मी.	611.00	1978.20	15-03-2009	13-09-2026	17.5	113.04	621.72
13.	हजारीबांग रांची	625.07	1986.48	14-03-2013	25-09-2028	15.5	128.16	897.12
14.	अमृतसर-वाघा बॉर्डर	205.88	664.20	13-06-2010	30-06-2028	18	36.90	276.75
15.	जम्मू उद्यमपुर खंड (जम्मू बाईपास) (उद्यमपुर बाईपास) (एनएचडीपी/ फेज-II/बीओटी/VI/जेएंडके)	1500.00	6864.60	01-06-2014	01-06-2031	17	403.80	4239.90
16.	एनएच-1ए के चेन्नई से नाशरी खंड को चार लेन का बनाना, इसका पुनर्स्थापन और सुदृढीकरण इसमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में बीओटी वार्षिकी आधार पर समानांतर एस्केप सुरंग के साथ 9 कि.मी. लंबी सुरंग (2 लेन) शामिल है (एनएचडीपी/फेज-II/बीओटी/VI जेएंडके)	2519.00	9525.60	07-09-2017	08-03-2032	15	635.04	6985.44
17.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	355.06	1048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90	359.40
18.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90	287.40
19.	ओरई-भोगनीपुर (220.00 कि.मी. से 255.00 कि.मी. तक) और भोगनीपुर-बराह (421.20 कि.मी. से 449.00 कि.मी. तक)	465.00	1344.60	24-10-2009	24-04-2024	15	89.64	313.74
20.	एनएच-210 में त्रिची कराईकुडी खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना और इसमें एनएच-677 पर त्रिची बाइपास शामिल है	374.00	554.97	16-08-2014	15-02-2027	13	42.69	256.14
21.	वार्षिकी आधार पर डीबीएफओटी पर एनएच-24बी के 12.700 कि.मी. से 82.700 कि.मी. तक के लखनऊ-रायबरेली खंड को 4 लेन का बनाना	635.90	1461.60	16-07-2015	15-07-2029	14.5	100.80	856.80
22.	मुजफ्फरपुर-सोनबर्ष तक 0.00 कि.मी. से 89.00 कि.मी. तक के खंड को दो लेन का बनाना	512.00	1834.00	25-11-2013	24-05-2031	17.5	104.80	1100.40

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
23.	एनएच-69 के नागपुर-सावनेर-बेतुल खंड को चार लेन का बनाना	2498.76	9596.40	18-08-2015	18-08-2031	16.5	581.60	6106.80
24.	लखनादोन-एमएच सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	263.17	673.05	26-09-2009	26-03-2027	17.5	38.46	230.76
25.	एमपी एनएस-1/बीओटी/एमपी-3 में लखनादोन- एमपी/एमएच सीमा (एनएच-7 का 596.75 कि.मी. - 653.225 कि.मी. खंड)	407.60	762.65	22-05-2010	22-10-2027	17.5	43.58	283.27
26.	नोल्लोर बाइपास	152.91	388.80	27-04-2005	27-10-2019	15	25.92	...
27.	कादल से आर्मर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	271.73	856.80	29-04-2010	29-10-2027	18	47.60	333.20
28.	इस्लाम नगर से कदताल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	518.46	1597.32	03-08-2010	29-02-2028	18	88.74	621.18
29.	एमएच/एपी सीमा से इस्लाम नगर तक (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	360.42	1133.28	02-05-2010	02-11-2027	18	62.96	440.72
30.	आर्मर-कलकल्लू गांव (एनएस-2/एपी-2)	546.15	1896.30	26-03-2009	25-09-2026	18	108.36	595.98
31.	पालनपुर से स्वरुपगंज	498.00	1296.30	24-03-2009	24-03-2024	15	86.42	259.26
32.	टूनी-धर्मावरम (एपी-16)	212.00	837.36	30-11-2004	29-11-2019	15	55.82	...
33.	धर्मावरम-राजमुंदरी (एपी-15)	219.00	888.57	30-11-2004	29-11-2019	15	59.24	...
34.	एसएआरडीपी-एनई के तहत बीओटी (वार्षिकी) आधार पर मेघालय और असम राज्य में एनएच-40 के 0.000 कि.मी. से 61.800 कि.मी. तक के जोरबाट-शिलांग (बारापानी) खंड को चार लेन का बनाना	536.00	2465.34	28-07-2016	28-01-2031	17	145.02	1740.24
35.	शिलांग बाइपास	226.00	596.88	25-09-2013	25-03-2025	12	49.74	198.96
36.	रीगस से सीकर 298.075 कि.मी. से 341.962 कि.मी. तक का खंड	333.51	544.39	01-09-2014	01-09-2028	14.5	37.54	281.55
37.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एनएच-1ए पर श्रीनगर से बनीहाल 187.000 कि.मी. से 189.350 कि.मी. तक का खंड (बनीहाल बाईपास) और 220.700 कि.मी. से 286.110 कि.मी. तक के खंड की पुनर्स्थापना, सुदृढ़ीकरण और इसे चार लेन का बनाना (पैकेज सं. एनएचडीपी- फेज-II/बीओटी/1/जेएंडके)	1600.00	4583.88	27-03-2018	27-03-2035	17	269.64	3774.96
38.	डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (वार्षिकी) पर एनएचडीपी चरण iv-ए के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-231 के रायबरेली से जौनपुर खंड (0.000 कि.मी. से 166.400 कि.मी.) को पेब्ड शोल्डर के साथ चार लेन का बनाना	569.36	1929.00	02-12-2016	02-06-2031	15	128.60	1350.30
39.	अंकापल्ली-तूनी	295.00	884.43	09-11-2004	08-11-2019	15	58.96	...
40.	डीबीएफओटी (वार्षिकी) आधार पर एनएचडीपी-III के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-34 के कृष्णानगर-बहरामपुर के 115 कि.मी. से 193 कि.मी. तक के खंड को चार लेन का बनाना [जारी पैकेज एनएचडीपी-III/बीओटी/डब्ल्यूपी/02]	702.16	1530.00	04-01-2015	04-01-2027	12.5	122.40	734.40
कुल- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		23,587.52	76,084.91				4,810.03	37,587.69
गृह मंत्रालय								
(i) दिल्ली पुलिस	धीरपुर, नई दिल्ली के आवासीय परिसर का विकास	790.58	1822.12	करार 04.03.2021 को समाप्त हो गया है		उ.न.	...	उ.न.
(ii) दिल्ली पुलिस	जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	286.00	1178.80	2020-21	2033-34	13	78.00	978.54
कुल जोड़ - गृह मंत्रालय		1,076.58	3,000.92				78.00	978.54

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
जल शक्ति मंत्रालय								
(i)	हरिद्वार, उत्तराखंड में 82 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना का विकास	279.65	219.05	26-06-2020	25-06-2035	15	14.60	209.49
(ii)	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 50 एमएलडी सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास	247.36	201.07	01-11-2021	31-10-2036	15	13.4*	लागू नहीं
(iii)	मथुरा, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्स्थापन एवं नवीकरण और 30 एमएलडी न्यू एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी का निर्माण	728.25	614.51	01-01-2022	31-12-2037	15	40.97*	लागू नहीं
(iv)	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में नैनी (42 एमएलडी, फाफामऊ (14 एमएलडी) और झुंसी (18 एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा ट्रीटमेंट अवसंरचना का पुनर्स्थापन और 15 वर्षों तक परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य	1418.57	1239.99	01-06-2022	31-05-2037	15	82.67*	उ.न.
(v)	कानपुर, उत्तर प्रदेश में उन्नाव (13 एमएलडी), शुक्लगंज (06 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा एसटीपी के एकीकरण के साथ-साथ पंखा में 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी	1263.08	1145.18	01-06-2022	31-05-2037	15	76.35*	उ.न.
(vi)	10 एमएलडी बुधना एसटीपी परियोजनाएं 52.5 एमएलडी मुज्जफरनगर एसटीपी परियोजनाएं	353.83	280.58	01-12-2022	30-11-2037	15	18.71*	उ.न.
(vii)	25 एमएलडी मुरादाबाद एसटीपी परियोजनाएं	141.60	114.13	01-03-2023	28-02-2038	15	7.61*	उ.न.
(viii)	मिर्जापुर (17 एमएलडी) अवरोधन के लिए अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज उपचार कार्य, गाजीपुर (21 एमएलडी) के लिए पथांतरण एवं सीवेज उपचार कार्य	400.71	340.81	01-01-2024	31-12-2039	15	22.72*	उ.न.
(ix)	बरेली (63 एमएलडी) के लिए अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज उपचार कार्य	340.17	264.35	15.02.2024	14.02.2039	15	17.62*	उ.न.
(x)	कंकड़बाग, पटना (50 एमएलडी) और दिघा, पटना (100 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	1334.17	457.77	31-12-2023	30-11-2038	15	30.52*	उ.न.
(xi)	पश्चिम बंगाल में हावड़ा (65 एमएलडी), बाली (40 एमएलडी), बड़नगर एवं कमरहटी (60 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण एवं ट्रीटमेंट कार्य	796.55	640.11	01-06-2023	31-05-2038	15	42.67*	उ.न.
(xii)	एसटीपी-महेशतला सहित अवधारण एवं पथांतरण	388.78	300.13	15-02-2024	14-02-2039	15	20.01*	उ.न.
कुल- जल संसाधन, नदी विकस और गंगा संरक्षण मंत्रालय		7692.72	5817.68				387.85	209.49
कुल जोड़		32356.82	84903.51				5275.88	38775.72

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उक्त वार्षिकी देनदारी के अलावा 31.03.2021 तक भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बकाय उधार ₹3.06 लाख करोड़ है।

जल शक्ति मंत्रालय

* भावी तिथि में वार्षिकी देय को दर्शाता है।

1. हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत परियोजनाओं के मूल्य में निर्माण के दौरान सूचीबद्ध पूंजी लागत का 40%, 60% शेष बकाए पर ब्याज और 15 वर्षों तक सूचीबद्ध परिचालन एवं अनुरक्षण भुगतान शामिल है।

2. वचनबद्ध कुल वार्षिकी में 15 वर्षों की वार्षिकी के रूप में भुगतान किया गया सूचीबद्ध पूंजीगत लागत का 60%, शेष बकाए पर ब्याज और परिचालन एवं अनुरक्षण लागत शामिल है।

3. उल्लिखित समानीकृत वार्षिकी में अंतर हो सकता है क्योंकि आरंभिक वर्षों के दौरान भुगतान की राशि अधिक होगी और 15 वर्षों की रियायती अवधि के अंतिम भाग में कम होगी।

टिप्पणी: मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथासूचित अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारी सूचित की गई है।

5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

	वास्तविक 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022	संशोधित अनुमान 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023
	(₹ करोड़ में)			
1. ऋण	123937.57	86022.00	76954.44	80242.03
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	19042.13	43581.77	21183.92	20380.58
3. निवल विदेशी ऋण (1-2)	104895.44	42440.23	55770.52	59861.45
4. नकद अनुदान	1001.02	637.00	625.00	620.00
5. वस्तु अनुदान सहायता	750.62	110.00	719.84	...
6. जोड़ (3+4+5)	106647.08	43187.23	57115.36	60481.45
7. ऋणों की वापसी-अदायगी	34715.36	40926.00	36024.10	40610.30
8. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (6-7)	71931.72	2261.23	21091.26	19871.15
9. ऋणों पर ब्याज अदायगी	8203.70	10617.00	7096.20	7925.90
10. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (8-9)	63728.02	-8355.77	13995.06	11945.25

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(क) बहुपक्षीय स्रोत

1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

(क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- राष्ट्रीय गंगा नदी परियोजना, तमिलनाडु, संपोषणीय शहरी विकास परियोजना, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश मुख्य सड़क नेटवर्क विकास परियोजना, गुजरात त्वरित ज्ञानार्जन के परिणाम (गोल) कार्यक्रम।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब, भारत रियायती ऋणों के कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमारे देश में निष्पादित की जा रही अधिकांश परियोजनाएं सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाएं हैं- नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, औद्योगिक मूल्य वर्द्धन प्रचालन हेतु कौशल सुदृढीकरण आदि।

2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेना शुरू किया गया था।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं विशाखापट्टनम-चेन्नै औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, 'मध्य प्रदेश जिला सड़क II क्षेत्र परियोजना', कर्नाटक स्टेट हाइवेज इन्फ्रस्ट्रक्चर III प्रोजेक्ट और मध्यप्रदेश इरिगेशन एफीसिएन्सी इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र ग्रामीण हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली विस्तार कार्यक्रम और दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली निवेश परियोजना आदि।

3. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी की सहायता से चलाई जा रही कुछ मुख्य चालू परियोजनाएं हैं: बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6-ए, पुणे मेट्रो रेल परियोजना तथा भारत मेट्रो रेल परियोजना-ए।

4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा बारह चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

एडीबी सहायता से चल रही कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की मुख्य जिला सड़कों का विकास एवं उन्नयन तथा मध्यप्रदेश बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, मध्य प्रदेश जिला सड़क II परियोजना असम पुल परियोजना और मणिपुर जलापूर्ति परियोजना आदि।

5. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं:- आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना, बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6 और आंध्र प्रदेश शहरी जल आपूर्ति सेप्टेज प्रबंधन सुधार मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 आदि।

6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने 1979 से कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें पूर्वोत्तर-मिजोरम में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि खेती कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना शामिल है।

वर्तमान में चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं: आंध्र प्रदेश सूखा शमन परियोजना, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना, एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना आदि।

7. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में कार्य करना शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना 'पहुंच बढ़ाना और व्यापक देखभाल बढ़ाना', 'सपोर्ट सहायता और उपचार, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

(ख) द्विपक्षीय स्रोत**1. जापान**

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- (I) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट (II) पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण-I)(1) और मुंबई मेट्रो लाइन परियोजना (II) आदि।

2. जर्मनी

जर्मनी संघीय गणराज्य 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, संपोषणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू की सहायता से चलने वाली कुछ प्रमुख परियोजनायें इस प्रकार हैं- गंगा बेसिन में पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास कार्यक्रम केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु सहिष्णुता पुनर्निर्माण चरण-II, केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु असहिष्णुता पुनर्निर्माण चरण-I, मुंबई महानगरीय क्षेत्र समेकित और हरित आवागमन, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में बस सेवाओं का जलवायु अनुकूल आधुनिकीकरण, सतत शहरी अवसंरचना विकास-चेन्नै तूफान-जल प्रबन्धन, आदि।

3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पूर्ववर्ती यूएसएसआर) के बीच विकासवात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणधीन हैं।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेंसी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- नागपुर मेट्रो के लिए ऋण सुविधा करार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और सूरत मेट्रो आदि।

**6. वर्ष 2022-23 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण प्रत्येक के सामने
इंगित किए गए बकाया शेष के साथ**

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
	I. बाजार ऋण:		
1	5.09% सरकारी स्टॉक, 2022	13-Apr-2022	27,354.88
2	8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14-May-2022	48,870.83
3	8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11-Jun-2022	70,876.12
4	8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02-Aug-2022	49,358.35
5	5.87% सरकारी स्टॉक, 2022 (परिवर्तनीय)	28-Aug-2022	8,723.04
6	8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21-Sep-2022	56,816.77
7	3.96% सरकारी स्टॉक, 2022	09-Nov-2022	28,410.11
8	6.84% सरकारी स्टॉक, 2022	19-Dec-2022	85,976.76
9.	आईआईएनएसएससी		0.70
10	कुल बाजार ऋण (1 से 9)		3,76,387.56
11.	सीपीएलआई विशेष प्रतिभूति		
	8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	28-Mar-2023	6,893.68
	8.08% पीएलआई भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	31-Mar-2023	3,000.00
	कुल (11)		9,893.68
12	II. भारत सरकार का विशेष बॉण्ड/प्रतिभूति		
13	क. भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार की विशेष बॉण्ड		
14	8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16-Oct-2022	5,000.00
15	ख. उर्वरक कम्पनियों को भारत सरकार का विशेष बॉण्ड		
	7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10-Dec-2022	6,071.51
	6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24-Dec-2022	491.42
	6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	29-Jan-2023	1,710.92
	कुल (15)		8,273.85
16	कुल भारत सरकार विशेष प्रतिभूति (14+15)		13,273.85
17	कुल निर्धारित पुनः अदायगी (बाजार ऋण+भारत सरकार विशेष प्रतिभूति) (10+11+16)		3,99,555.09
18	सरकारी स्टॉक की स्वीचिंग/पुनर्खरीद के लिए प्रावधान		
	(i) प्रतिभूति स्वीचिंग के लिए प्रावधान	1,00,000.00	
	(ii) सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीदी के लिए प्रावधान	0.00	
	कुल (18)		1,00,000.00
	कुल (17+18)		4,99,555.09

